

175

भारत का विधि आयोग

विदेशियों विषयक (संशोधन) अधिनियम, 2000

विषय पर

एक सौ पच्चहत्तरवीं रिपोर्ट

सितम्बर, 2000

न्यायमूर्ति

नई दिल्ली-110001

बी०पी० जीवनरेड्डी

दूरभाष: 3384475

चेयरमैन, भारत का विधि आयोग

नि० 1, जनपथ

नई दिल्ली-110011

दूरभाष: 3019465

प्रिय, श्री जैटली,

मैं एतद् द्वारा "विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक, 2000" पर एक सौ पच्चहत्तरवीं रिपोर्ट अर्पित कर रहा हूँ।

2. यह विषय 19 फरवरी, 1999 को भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसरण में अध्ययन के लिए लिया गया था। इससे पूर्व, गृहमंत्री, श्री एल०के० अडवाणी द्वारा राज्य सभा में पुरःस्थापित किए गए विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक, 1998 में कतिपय संशोधन प्रस्तुत किए गए थे। गृह मंत्रालय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने महसूस किया कि सरकार को सीमा पार से विदेशियों की घुसपैठ रोकने में प्रस्तावित संशोधनों की प्रभावकारिता के बारे में गहन अध्ययन करना चाहिए। समिति ने घुसपैठ की गम्भीर समस्या से निपटने के लिए निष्ठापूर्ण दृष्टिकोण का समर्थन किया। बहुत से सुझाव दिए गए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, संक्षिप्त विचारण, विशेष न्यायालयों का गठन, जमानत की स्वीकृति को कठोर बनाना आदि सम्मिलित है। यह मामला विचार करने हेतु विधि आयोग को निर्दिष्ट किया गया।

3. आयोग ने, विदेशियों विषयक अधिनियम के उपबंधों तथा अन्य संबंधित सांविधिक अधिनियमितियों के कार्यान्वयन के बारे में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की रिपोर्टों और विचारों सहित सम्बद्ध सामग्री पर विचार किया है। इस मामले पर विचार करते समय आयोग को उपलब्ध दो विकल्पों के बीच से चयन करना पड़ा है। पहला यह कि आयोग वर्तमान विधान, नियमों और आदेशों आदि का निरसन करते हुए एक व्यापक अधिनियम की सिफारिश करें और दूसरा विकल्प यह था कि वर्तमान विधायी संरचना में संशोधनों की सिफारिश करें। आयोग ने विदेशियों से संबंधित समस्त विधि को संहिताबद्ध करने के बजाय विदेशियों विषयक अधिनियम में नए उपबंधों का अन्तःस्थापन करने के दूसरे विकल्प का चयन किया ताकि इसे आज देश के सामने जो समस्या है, अर्थात् अवैध प्रवासन, उससे निपटने के लिए वर्तमान विधायी संरचना में हस्तक्षेप किए बिना, अधिक प्रभावी बनाया जा सके। आयोग का विचार है कि पड़ोसी देशों से अवैध प्रवासन की समस्या का, अवैध घुसपैठियों का शीघ्र और प्रभावी रूप से पता लगाने के लिए एक तंत्र की व्यवस्था करके गंभीर रूप से समाधान करना होगा। कोई व्यक्ति 'अवैध प्रवेशकर्ता' है या नहीं यह सुनिश्चित करने का कार्य अप्रवासन अधिकारियों को सौंपने का प्रस्ताव है जिनके आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकेगी। जिसकी सुनवाई और मामले पर निर्णय जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश से गठित अप्रवासन अधिकरण द्वारा किया जाएगा। इन प्राधिकारियों द्वारा मामलों का निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विदेशियों को, उनके स्तर का निश्चय होने तक और उनका देश से निष्कासन किए जाने तक उन्हें निरुद्ध रखने के लिए सुलभ केन्द्रों की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है। जहां तक अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों का संबंध है, ऐसे मामलों का विचारण अप्रवासन न्यायालय द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है और यह न्यायालय उपयुक्त सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के लिए विनिर्दिष्ट किया जाने वाला जिला या सेशन न्यायालय होगा। हमने अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 और अवैध प्रवासी (अधिकरण द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 के निरसन की भी सिफारिश की है। अपनी सिफारिशों को दृढ़ आधार प्रदान करने के लिए, हमने इस रिपोर्ट के साथ विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 में कतिपय उपबंध समाविष्ट करने का प्रस्ताव करते हुए विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक, 2000 संलग्न किया है।

4. हमारे देश में अवैध प्रवास की समस्या का समाधान करने के लिए आयोग द्वारा दिए गए सुझावों को शीघ्र क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।

सादर

भवदीय,

ह०

(न्यायमूर्ति बी० पी० जीवनरेड्डी)

श्री अरुण जैटली,

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में

राज्यमंत्री, भारत सरकार

शास्त्री भवन,

नई दिल्ली।

विदेशियों विषयक प्रस्तावित (संशोधन) विधेयक, 2000 संबंधी रिपोर्ट

1. विधि आयोग के निर्देश

अपराधों का वर्गीकरण करने तथा दंड संबंधी उपबंधों को कठोर बनाने के विचार से गृहमंत्रालय में विदेशियों विषयक, अधिनियम 1946 में कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव किया था। इसे ध्यान में रखते हुए गृहमंत्री श्री लाल कृष्ण अडवाणी द्वारा 28 जुलाई, 1998 को राज्य सभा में विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक, 1998 पुरःस्थापित किया गया था। तत्पश्चात् इस विधेयक को विचारार्थ गृहमंत्रालय संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया जिसने 10 सितम्बर, 1998 को हुई अपनी बैठक में संशोधनों पर विचार विमर्श किया। समिति ने महसूस किया कि सीमा पार से विदेशियों की घुसपैठ रोकने में प्रस्तावित संशोधनों की प्रभावशीलता का गहन अध्ययन कराना चाहिए। घुसपैठ की समस्या से प्रभावी रूप से निपटने के विचार से अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन संबंधी मामलों में समिति ने दृढ़निष्ठ कार्यवाही किए जाने का समर्थन किया। चर्चा में अन्य बातों के साथ-साथ जो विभिन्न सुझाव सामने आए हैं उनमें संक्षिप्त विचारण, विशेष न्यायालयों की स्थापना, जमानत की मंजूरी को कठोर बनाना आदि भी सम्मिलित हैं। दिए गए सुझावों से विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं जिनमें राष्ट्र के सुरक्षा हित अन्तर्ग्त हैं। परिणामतः 30 सितम्बर, 1998 को गृहमंत्री ने इस मामले में विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय को, विधि आयोग के विचारार्थ निर्दिष्ट कर दिया। विधि मंत्रालय, विधायी विभाग ने प्रस्तावित संशोधन विस्तृत जांच के लिए 16 फरवरी, 1999 को विधि आयोग को निर्दिष्ट कर दिए।

अवैध प्रवास की समस्या, विशेषकर सीमा पार से और उससे पैदा होने वाली सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों के संदर्भ में यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।

2. अवैध प्रवासन की समस्या

2.1 भारत में अवैध प्रवासियों तथा अन्य अवांछनीय विदेशियों के प्रवेश से न केवल हमारे लोकतंत्र को अपितु हमारे देश की सुरक्षा को भी, विशेषकर देश के पूर्वी भाग तथा जम्मू और कश्मीर में, खतरा पैदा हो गया है।

2.2 इस समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जैसाकि भारत में प्राधिकृत रूप से निवास करने वाले विदेशियों की लगभग 18 मिलियन जनसंख्या से स्पष्ट हो जाता है। इसने रोजगार की समस्या को गम्भीर बना दिया है और कुछ राज्यों की मतदाता सूचियों में गड़बड़ी कर दी है। विदेशियों के अवांछनीय क्रियाकलापों में, नशीली औषधियों की तस्करी, आतंकवाद फैलाना तथा ऐसे ही अन्य क्रियाकलाप सम्मिलित हैं। अतः सीमा पार तार लगाना, आधुनिक इलैक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली तथा समस्या से निपटने के लिए प्रभावी विधान जैसे दोषमुक्त प्रशासनिक उपाय करना अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया है।

2.3 वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य विद्यमान विधान की जांच करना और उपयुक्त सुधारों के लिए सुझाव देना है ताकि इस समस्या से प्रभावी रूप से निपटा जा सके।

3. परिस्थिति की समीक्षा

3.1 एक स्थान से दूसरे स्थान को लोगों का प्रवास सभ्यता के आरम्भिक काल से ही एक निरन्तर प्रक्रिया रही है। भारत ने, क्योंकि यह एक प्राचीनकालीन सभ्यता है, इतिहास के विभिन्न चरणों में नए लोग और नई जातियां स्वीकार की हैं। यहां तक कि आक्रान्ताओं ने भी भारत को अपना गृह बनाया और भारतीय समाज में मिल गए। विभिन्न लोग और विभिन्न जातियां शांति और सौहार्द से शताब्दियों तक साथ-साथ रहते रहे। तथापि, अंग्रेजों के आरंभ में व्यापारियों के रूप में प्रवेश करने और तत्पश्चात् भारत में राजनैतिक सत्ता के अभिग्रहण कर लेने से समस्या आरम्भ हुई।

3.1.1 अंग्रेजों को न केवल भारत में अपितु अपने राजनैतिक आधिपत्य के अधीन विश्व के अन्य भागों में अपने बागानों तथा औद्योगिक संस्थापनाओं के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता थी। यह कार्य उन्होंने श्रमिकों को देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाकर तथा देश से बाहर अन्य देशों में ले जाकर सुनिश्चित किया। यह रिकार्ड में उपलब्ध है कि वर्ष 1920 से अपने चाय उद्योगों को विकसित करने के लिए श्रमिकों को कार्य करने हेतु पूर्वी बंगाल से लोगों को असम ले गए। तत्पश्चात् क्षेत्र के आधार पर लोगों का राजनैतिक विभाजन का परिणाम जिसके कारण अन्ततः देश का विभाजन हुआ, विश्व के इतिहास में सबसे बड़ी प्रवासी घटना के रूप में सामने आया¹। भारत को बहुत बड़ी संख्या में प्रवासियों को आत्मसात करना पड़ा।

3.1.2 देश का विभाजन ही एकमात्र ऐसी घटना नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों ने प्रवास किया। नए बने राज्य पाकिस्तान में विभिन्न वर्गों के लोगों के हुए उत्पीड़न के परिणामस्वरूप भी बहुत से भारत में आ गए। यहां तक कि 1971 में बंगलादेश पृथक राज्य बन जाने के बाद भी नए राज्य से भारत के सीमावर्ती राज्यों में लोगों का प्रवास निरन्तर जारी रहा।

3.1.3 आक्रान्ताओं के रूप में पाकिस्तान द्वारा सशस्त्र आक्रमण के परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से 1948 में भी लोगों ने घुसपैठ की। तिब्बत की गतिविधियों के परिणामस्वरूप भी बहुत बड़ी संख्या में लोग तिब्बत से भाग खड़े हुए और भारत में आ बसे। बहुत सी अन्य घटनाओं के कारण भी कई देशों से लोग भारत में आ गए। उदाहरण के लिए, 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण, 1965 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर दूसरा आक्रमण, श्रीलंका में हुए विद्रोह के कारण बहुत से तमिल भाषी श्रीलंका के निवासी तमिलनाडु में आ बसे, तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिए जाने के पश्चात बहुत से अफगानिस्तान वासी भारत में आ गए और हाल में कारगिल में घुसपैठ हुई।

विभिन्न श्रेणियों को इन घटनाओं के कारण भारत में शरणार्थियों तथा अवैध प्रवासियों के रूप में विदेशियों का प्रवेश हुआ²।

3.2 भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्र हो जाने के समय से ही बंगलादेश से बहुत बड़ी संख्या में लोग निरन्तर भारत में आते रहे और अब इनकी संख्या भयावह हो गई है। भारत में इन प्रवासियों का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। वास्तव में, इनकी संख्या जानने के उद्देश्य से कोई जनगणना भी नहीं हुई है। गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में अवैध रूप से रह रहे बंगलादेशियों की जनसंख्या लगभग 15 से 18 मिलियन के बीच है और प्रत्येक वर्ष लगभग 3.5 लाख लोग भारत में घुसपैठ करते हैं।³

3.2.1 सैद्धांतिक वृद्धि के आधार पर सीमावर्ती राज्यों में अवैध प्रवासियों की संख्या का अनुमान, पश्चिम बंगाल में 5.4 मिलियन, असम में 4 मिलियन और त्रिपुरा में 0.8 मिलियन लगाया गया है। ये प्रवासी देश के अन्य भागों में भी पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में इनका अनुमान है 0.5 मिलियन, राजस्थान में 0.5 मिलियन और दिल्ली में 0.3 मिलियन⁴। ये आंकड़े परेशान करने वाले तथा चिन्ताजनक हैं। भारत में अपनी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है और उस पर यह अतिरिक्त भार और बढ़ गया है।

3.3 भारत सरकार नीतिस्वरूप इस बात पर सहमत हुई थी कि भारत में 25 मार्च, 1971 से पूर्व जो भी बंगलादेशी भारत में बस गए थे उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा (इन्दिरा-मुजीब समझौता 1974 और असम समझौता 1985)। परन्तु इस तिथि को तथा इसके पश्चात भारत में वैध यात्रा पत्रों या वैध प्राधिकार के बिना भारत में आए या कानूनी रूप से प्रवेश करके लौट जाने का समय बीत जाने पर भी भारत में रह रहे लोगों को अवैध प्रवासी समझा जाएगा।

3.3.1 विधिमन्य यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करके वापस जाने की अवधि के उपरान्त भी भारत में रह रहे बंगलादेशियों की संख्या बहुत बड़ी है, उदाहरण के लिए, 1972 से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने वाले और अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी वहां रह रहे बंगलादेशियों की संख्या 10,24,322 है। वर्ष 1972-98 के बीच अवैध रूप से सीमा पार करके पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते पाए गए लोगों की संख्या 5,73,334 है⁵। अखिल भारतीय संख्या तो बहुत ही बड़ी है।

3.4 प्रवास के कारण: इस प्रकार के प्रवास के आर्थिक और धार्मिक सहित अनेक कारण हैं। सीमा पार से लोगों के आने के कारण वहां जनसंख्या में बहुत अधिक और निरन्तर वृद्धि भूमि-जन अनुपात तीव्र गति से बिगड़ना और आर्थिक विकास की विशेषकर, कृषि क्षेत्र में बहुत धीमी गति थी। भारत की ओर इन्हें आकृषित करने के कारणों में जातीय, भाषायी तथा धार्मिक सामीप्य तथा सम्बन्ध, जिनके कारण प्रवासियों को सुगमता से शरण प्राप्त हो जाती है, पारगम्य तथा परक्राम्य लम्बी सीमा तथा बेहतर आर्थिक सुविधाएं जैसे कारण सम्मिलित हैं। सीमा पार से सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता अवैध प्रवास को प्रोत्साहन देने वाला दूसरा कारण है⁶।

3.5 अवैध प्रवास, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में, की समस्या के गम्भीर बनने के प्रमुख कारणों में पहिचान की कठिनाई तथा अवैध प्रवासियों की पहिचान करने के लिए उपयुक्त तंत्र का अभाव एक प्रमुख कारण है। विद्यमान विधायी संरचना अवैध प्रवास को रोकने में असफल रही है।

3.5.1 इसके अतिरिक्त, प्रवर्तन अभिकरणों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण प्रवासी बिना किसी हानि या दण्ड के निरन्तर भारत में रह रहे हैं। उनका एक प्रमुख स्थल मुम्बई है।⁷

3.6 अवैध प्रवास का एक अन्य कारण भारत और बंगलादेश के बीच चोरी छुपे व्यापार का चलना है जिसका अनुमान 5 बिलियन डालर तक है। साधिकार (वैध) व्यापार की तुलना में यह तीन गुणा है। इस व्यापार से सीमा के दोनों ओर प्राधिकारियों की सांठ-गांठ में एजेंटों तथा बिचौलियों का एक जाल सा बन गया है। सशक्त निहित स्वार्थ भी इस अवैध प्रवास के पीछे कार्य कर रहे प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के बीच व्यापार के पीछे सांस्कृतिक तथा जातीय संबंध भी हैं⁸।

3.7 अधिकांश मामलों में प्रवासी चोरी छुपे प्रवेश कर जाते हैं और जातीय, भाषायी, धार्मिक तथा शारीरिक समानताओं के कारण स्थानीय जनता में सुगमतापूर्वक घुल मिल जाते हैं। उनको पहिचान पाना अत्यन्त कठिन है। इसके परिणामस्वरूप बहुत से राज्यों के सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन आ गया है। सीमावर्ती राज्यों में जनसंख्या वृद्धि की बहुत ही ऊंची दर रिकार्ड की गई है। यह रिकार्ड किया गया है कि असम में राष्ट्रीय औसत की तुलना में जनसंख्या वृद्धि की दर की प्रतिशतता बहुत अधिक है¹⁰।

3.8 इस बात का प्रमाण है कि बहुत से अवैध प्रवासियों ने राशनकार्ड बनवा लिए हैं, रोजगार प्राप्त कर लिए हैं और स्थानीय दलालों, भ्रष्ट अधिकारियों और राजनेताओं की सहायता से अपनी पहिचान छुपाकर निर्वाचन सूचियों में अपने नाम सूचीबद्ध करा लिए हैं¹¹।

3.9 अवैध प्रवास का प्रभाव: अवैध प्रवास से देश की अर्थव्यवस्था पर सामान्य रूप से और सीमावर्ती राज्यों की अर्थव्यवस्था पर विशेष रूप से भार पड़ा है¹²।

3.10 ऐसी भयावह संख्या में अवैध प्रवास से समग्र रूप से देश की, और विशेषरूप से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की, बंगलादेश से सामीप्य के कारण सुरक्षा को खतरा हो गया है। चोरी-छुपे चल रहे प्रवास तथा इन प्रवासियों द्वारा सभी प्रकार की वस्तुओं की तस्करी के समाचार आ रहे हैं¹³।

3.11 इन सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों को अपनी पहिचान लुप्त हो जाने का निरन्तर भय बना हुआ है क्योंकि वे अपने ही राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए हैं। इसके चलते विभिन्न प्रकार के आन्दोलन, विशेषकर उत्तर-पूर्वी में, हिंसक आन्दोलन हुए हैं¹⁴। इस समस्या से स्थानीय लोगों पर आर्थिक रूप से बुरा प्रभाव पड़ा है और देश की सुरक्षा को, समग्ररूप में, खतरा पैदा हुआ है।

3.12 इस भयावह स्थिति को रोकने में अभिकरणों की असफलता:—सीमा सुरक्षा बल, जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, सीमा पार से हो रही घुसपैठ को रोकने में प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ है। कथित अवैध प्रवासियों के मामलों में कार्यवाही करने से संबंधित अभिकरणों को अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। जब पुलिस प्रमाण एकत्र करने का प्रयास करती है तो जो लोग अवैध प्रवासी हैं दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और छुप जाते हैं।

3.13 प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों के लिए गठित किया गया सचली कार्यकारी बल समस्या से निपटने के लिए बहुत छोटा बताया गया है।

3.14 कुछ समय पहले, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बंगलादेश से पश्चिम बंगाल में हो रही निरन्तर घुसपैठ का मामला उठाया और महसूस किया कि इन्दिरा-मुजीब करार को पूर्णतया क्रियान्वित नहीं किया गया है। तथापि, उन्होंने लोगों को जबरदस्ती वापस भेजने के प्रति अपनी अनिच्छा व्यक्त की।

3.15 भारत में प्रवेश करने और भारत से विदेशियों के वापस जाने से संबंधित देश की मुख्य विधि विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 है। देश के विभिन्न भागों में रह रहे अवैध प्रवासियों की पहिचान करने, पता लगाने तथा उन्हें वापस भेजने की शक्तियां इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दी गई हैं। असम राज्य में, 25 मार्च, 1971 को या इसके पश्चात् भारत में प्रवेश करने वाले ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने का कार्य अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा विनिश्चय) अधिनियम, 1983 के अधीन स्थापित अधिकरणों द्वारा किया जा रहा है। यहां इसके बाद आई० एम० डी० टी० एक्ट के रूप में उल्लिखित। तथापि, हाल में, केन्द्रीय सरकार ने इस अधिनियम की उपयोगिता के बारे में, इस आधार पर कि इसे केवल असम राज्य में लागू किया गया है, व्यक्त किए गए संदेहों को स्वीकार किया गया प्रतीत होता है।

3.16 केन्द्रीय सरकार ने अवैध प्रवासियों की पहिचान करने और उन्हें वापस भेजने के कार्य को तेज करने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किए हैं। उसने राज्य सरकारों के प्रयासों में भी, सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ बनाकर सीमा पर तार लगाने, मोटर बोट आदि से गश्त लगाने जैसे कार्यों से सहायता करने के लिए कदम उठाए हैं। इन उपायों के उपरान्त भी अवैध प्रवास की समस्या निरन्तर बनी हुई है।

4. प्राक्कलन समिति की सिफारिशें

(आठ) दोषसिद्ध विदेशी द्वारा सजा पूरी कर लिए जाने के पश्चात उसे तुरन्त देश से निष्काषित करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए।

4.2 प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट पर कुछ वर्षों तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई परन्तु गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने जब विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया तब ये सिफारिशें प्रतिध्वनित हुईं।

5. मुख्यमंत्रियों तथा मुख्य सचिवों का सम्मेलन

वर्ष 1992 में हुए मुख्यमंत्रियों तथा मुख्य सचिवों के सम्मेलन में अवैध प्रवास की समस्या को गम्भीर माना गया और इसका समाधान करने के लिए एक विशेष विधान अधिनियमित करने का सुझाव दिया गया।

6. अवैध प्रवास के बारे में असम के राज्यपाल की रिपोर्ट

6.1 बंगलादेश से बहुत बड़ी संख्या में अवैध प्रवास के कारण गुप्तरूप से हो रहे 'जनसांख्यिक अतिक्रमण' से उत्पन्न खतरे को ध्यान में रखते हुए और असम में विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ चर्चा करके तथा ढाका स्थित भारतीय उच्चायुक्त से परामर्श करके हाल ही में 8 नवम्बर, 1998 'असम में अवैध प्रवास संबंधी रिपोर्ट' शीर्षक के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की¹⁶।

इस रिपोर्ट में बंगलादेश से प्रवास के इतिहास का पता लगाया गया है, वर्तमान वास्तविकताओं को ध्यान में रखा गया है और इस समस्या से प्रभावी रूप से निपटने के लिए भविष्य के लिए रणनीति तैयार करने हेतु सिफारिशों की गई है।

6.2 राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में असम में बंगलादेशियों के अभूतपूर्व प्रवास की खतरनाक परिस्थितियों की ओर ध्यान दिलाते हुए उत्तर-पूर्व क्षेत्र को इस प्रकार के प्रवास से उत्पन्न सुरक्षा संबंधी खतरे तथा इस समस्या के सामरिक और आर्थिक परिणामों की ओर ध्यान दिलाया है।

6.3 उन्होंने ऐसे प्रवासियों की पहिचान करने में आई०एम०डी०टी० अधिनियम तथा इन प्रवासियों को असम से बाहर भेजने में असम समझौते की विफलता के बारे में भी बताया है। आई०एम०डी०टी० अधिनियम के संबंध में उन्होंने नोट किया है कि पहिचान करने के कार्य पर करोड़ों रुपये की राशि व्यय हो चुकी है और बहुत थोड़े से प्रवासियों को निष्काशित किया गया है। उन्होंने कहा है कि उक्त अधिनियम को जारी रखना निरर्थक कार्यवाही है।

6.4 सिफारिशें:—तार लगाने, प्रकाश की व्यवस्था करने, सीमावर्ती नदियों में चल रही देश की नौकाओं का पंजीकरण करने, नदीय क्षेत्र में तीव्रगति से चलने वाली पर्याप्त नौकाएं, विशेषरूप से महिलाओं की रक्षा सहित उन्नत सीमा प्रबंधन की सिफारिशों के अतिरिक्त असम के राज्यपाल की रिपोर्ट में निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की गई है:—

- (एक) ऐसी जागरूकता को प्रोत्साहन देना कि असम में हो रहा अवैध प्रवास न केवल स्थानीय लोगों की पहिचान के लिए खतरा है अपितु हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गम्भीर खतरा है।
- (दो) सीमावर्ती जिलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी भारतीय नागरिकों को बहुउद्देशीय फोटो पहिचानपत्रों की व्यवस्था करना।
- (तीन) जन्म तथा मृत्यु के पंजीकरण का प्रावधान करना और निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन करना।
- (चार) नागरिकों के अद्यतन तथा कम्प्यूटरीकृत राष्ट्रीय रजिस्टर की व्यवस्था करना तथा राज्यविहीन लोगों के लिए एक पृथक रजिस्टर रखा जाना।
- (पांच) यहां इसके पश्चात् अवैध प्रवास के ज्वार को रोकने के लिए अधिकतम प्रयास करना और 29 मार्च, 1971 से आज तक आए लोगों को भारत से निष्काशित करना।
- (छः) आई०एम०डी०टी० अधिनियम को निरस्त किया जाए जो निरर्थक सिद्ध हुआ है।
- (सात) भारत में अवैध रूप से रह रहे लाखों बंगलादेशियों का निष्कासन अब व्यवहारिक नहीं रहा है क्योंकि भारत की ओर से एकपक्षीय प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। अतः एक नए विधान की आवश्यकता है ताकि अवैध प्रवासियों की न्यायोचित, निष्पक्ष, व्यवहारिक और शीघ्रता से पहिचान की जा सके और उन्हें मताधिकार तथा अचल सम्पत्ति अर्जित करने के अधिकार से वंचित करते हुए राज्यविहीन व्यक्ति घोषित किया जा सके।

7. लोकहित याचिका

7.1 ऑल इंडिया लायर्स फोरम फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा जनहित मुकदमें के रूप में 4 फरवरी, 1998 को उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें भारत में अवैध रूप से रह रहे बंगलादेशी राष्ट्रिकों को वापस भेजने के लिए पर्याप्त प्रबंध करने, उनकी भविष्य में घुसपैठ रोकने, उन्हें सरकारी तौर पर 'बंगलादेश के राष्ट्रिक' घोषित करने तथा उनकी तथा उनके द्वारा खरीदी गई भूमि और प्राप्त किए गए रोजगारों की उचित रूप में पहिचान करने के लिए संघ सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार को भी एक पक्ष बनाया गया¹⁷।

7.2 उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार को भारत में अवैध रूप से रह रहे बंगलादेशी प्रवासियों के बारे में भी स्थिति दर्शाते हुए अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया गया। न्यायालय ने उत्तर-पूर्व के अन्य राज्यों को भी ऐसा ही करने के लिए निर्देशित किया। उच्चतम न्यायालय ने बंगलादेश से घुसपैठ और देश के कतिपय क्षेत्रों में इन घुसपैठियों के विद्यमान होने पर

गम्भीर चिन्ता व्यक्त की और आशा की कि भारत सरकार तथा सीमावर्ती राज्य घुसपैठ रोकने तथा घुसपैठियों को देश से निष्कासित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे।

7.3 भारत सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर की गई प्रास्थिति रिपोर्ट:

(एक) उपर्युक्त मामले में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई प्रास्थिति रिपोर्ट में भारत के विभिन्न भागों में, विशेषकर पश्चिम बंगाल तथा कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों में, बंगलादेश से आए अवैध प्रवासियों के बारे में गम्भीर स्थिति का चित्रण किया गया है।

(दो) इसमें बंगलादेश से अवैध प्रवासियों की समस्या के आकार और गम्भीरता, इसके कारण तथा भारत की सुरक्षा पर इस समस्या के प्रभाव को दर्शाया गया है।

(तीन) इस रिपोर्ट में उन उपायों का उल्लेख किया गया है जो भारत सरकार ने घुसपैठ रोकने के लिए किए हैं। इन उपायों में अवैध प्रवासियों की पहिचान करने, पता लगाने तथा देश से निष्कासित करने के लिए विदेशियों विषयक अधिनियम के अधीन राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को शक्तियां प्रत्यायोजित करने, पहिचान करने तथा निष्कासन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अनुदेश जारी करना, सीमा सुरक्षा बल को सटुड़ बनाना, सीमा पर सड़क बनाने तथा तार खींचना, विदेशियों को घुसपैठ रोकने, संचल कार्यबल के लिए पदों की स्वीकृति, देश के कतिपय नदीय क्षेत्रों में मशीनी नौकाओं द्वारा गश्त बढ़ाने एवं राजनयिक प्रयास जैसे उपाय सम्मिलित हैं।

(चार) इसमें सीमा सुरक्षा बल तथा बंगलादेश रायफल के बीच अवैध प्रवासियों को सौंपने के लिए किए गए निम्नलिखित प्रबंधों का भी उल्लेख किया गया है:—

- (क) न्यायालयों द्वारा सिद्धदोष व्यक्तियों को अपने-अपने देश के विहित प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीयता की जांच के आधार पर स्वीकार कर लिया जाएगा।
- (ख) असावधानी से या जानबूझकर सीमा पार करते पकड़े गए व्यक्तियों को प्रकटन के आधार पर तुरन्त स्वीकार किया जाएगा।
- (ग) अन्य सभी श्रेणियों के अवैध घुसपैठियों को अपेक्षित जांच के पश्चात् गिरफ्तारी के स्थान और दावा किए गए अधिवास स्थान के आधार पर 7—15 दिन की अवधि के भीतर सौंप दिया जाएगा।

(पांच) भारत के 14 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहिचान-पत्र जारी करने का भी प्रस्ताव है। जो 14 वर्ष से कम आयुवर्ग के होंगे उन्हें जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन पृथक रूप से पंजीकृत किया जाएगा और उनके नाम पिता/माता के पहिचान-पत्रों में सम्मिलित किए जायेंगे। जो नागरिक नहीं हैं उन्हें अलग रंग के पहिचान-पत्र दिए जायेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अवैध प्रवास को रोकना तथा अवैध प्रवासियों को सरलता से पहिचानना तथा पता लगाना है। इस योजना में एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री की व्यवस्था की परिकल्पना भी की गई है जिसमें देश के सभी जिलों के आंकड़े तुरन्त उपलब्ध हों।

(छः) बंगलादेश के अवैध प्रवासियों को देश से निष्कासित करने के लिए 1997 में अनुदेश जारी किए गए थे जो इस प्रकार हैं:—

- (क) अप्राधिकृत रूप से भारत में प्रवेश करते सीमा पर पकड़े गए बंगलादेश के राष्ट्रिकों को सीमा सुरक्षा बल द्वारा तुरन्त वापस भेजा जाएगा;
- (ख) ऐसे राष्ट्रिकों को, जो भारत में अप्राधिकृत रूप से रह रहे पाये जायेंगे उन्हें संबंधित राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निष्कासन आदेश करने के पश्चात् निष्कासित कर दिया जाएगा।

भारत सरकार द्वारा इन अनुदेशों की वर्ष 1998 में पुनरीक्षा की गई और अनुपालन के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित निर्णय भेजे गए:—

- (क) ऐसे प्रवासियों की पहिचान होने या पता चलने पर राज्य सरकारें संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा बताया गया निवास स्थान का पता आदि विवरण जांच करने और 30 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के लिए संबंधित राज्य सरकार (भारत का नागरिक होने पर जहां का निवासी वह अपने को बताता है) को भेजेंगी।

(ख) इस अवधि के दौरान सक्षम प्राधिकारी उसे निष्कासन के लिए अवरुद्ध रखेगा (यदि आवश्यक हो, तो न्यायालय की अनुमति लेकर)।

(ग) यदि इस अवधि के भीतर कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो सक्षम प्राधिकारी अवैध प्रवासी को निष्कासित करने के लिए कार्यवाही करेगा।

(घ) पुलिस संरक्षण में निष्कासितों के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने के बारे में उस राज्य द्वारा जहां से उन्हें ले जाया जा रहा है उस राज्य की पुलिस को अग्रिम सूचना दी जाएगी जिस राज्य में उन्हें ले जाया जा रहा है।

7.4 पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा प्रास्थिति रिपोर्ट:

(एक) पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई प्रास्थिति रिपोर्ट में अवैध प्रवास के परिणाम और कारणों का उल्लेख किया गया है।

(दो) रिपोर्ट में कहा गया है कि अवैध प्रवासियों का पता लगाना और उन्हें दोषसिद्ध करना अत्यन्त विशाल कार्य है। अवैध प्रवास को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर किए गए अनेकों उपायों के उपरान्त भी समस्या इतनी बड़ी है कि सीमा प्रबन्ध के लिए और अधिक संगठित प्रयासों की आवश्यकता है।

(तीन) सभी प्रवासियों के विरुद्ध अभियोजन चलाना तथा विदेशियों विषयक अधिनियम के अधीन उन्हें सिद्धदोष सुनिश्चित करना असंभव है। इसके पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा कन्वेंशंस के अधीन उन्हें भारत में अवैध रूप से रह रहे बंगलादेशी राष्ट्रिकों को उनके देश वापस भेजने संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को बंगलादेश सरकार के साथ एक अन्तर्राष्ट्रीय करार करने की आवश्यकता हो सकती है।

8. वर्तमान विधायी संरचना

भारत में विदेशियों के प्रवेश, यहां रहने तथा यहां से प्रस्थान करने से संबंधित वर्तमान में हमारे देश में विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 और विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 विद्यमान है। आप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 और अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 विशेषकर उत्तर-पूर्व क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में अवैध प्रवास को रोकने के लिए अधिनियमित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, इस विषय से संबंधित कतिपय सजातीय विधियां भी विद्यमान हैं, जैसे भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 और भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, 1967।

8.1 इस विषय से संबंधित मूल अधिनियम विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 है:—

सरकार की अनुमति के बिना विदेशियों को ब्रिटिश इंडिया में निवास करने, या अल्पाकालिक निवास करने, यहां से होकर गमन करने या यात्रा करने से रोकने के लिए सरकार को शक्ति प्रदान करने हेतु सर्वप्रथम वह अधिनियम 1864 में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक विदेशी को कतिपय मामलों में भारत में आने की सूचना देना और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या किसी स्थानीय सरकार या इस कार्य के लिए उनके द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी द्वारा स्वीकृत लाईसेंस के बिना भारत में यात्रा न करना अनिवार्य बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल को किसी भी विदेशी को ब्रिटिश इंडिया से बाहर निकालने के लिए आदेश देने की शक्तियां दी गईं। इस अधिनियम में यह उपबन्ध किया गया था कि यदि कोई विदेशी, जिसे ब्रिटिश इंडिया से किसी विशेष मार्ग से ब्रिटिश इंडिया छोड़कर चले जाने का आदेश दे दिया गया हो, ऐसा करने से इन्कार करता है या छोड़ जाने के पश्चात् बिना लाईसेंस के वापस आ जाता है तब उसे पकड़ा अथवा अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकेगा और ऐसी शर्तों पर छोड़ा जा सकेगा जो ब्रिटिश इंडिया और पड़ोसी राज्यों की शान्ति और सुरक्षा के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या स्थानीय सरकार आवश्यक समझते हों।

8.1.1 1939 में दो और अधिनियम अधिनियमित किए गए, एक था विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939, जो अभी भी लागू है और दूसरा था विदेशियों विषयक अध्यादेश, 1939 जिसकी घोषणा दूसरे विश्व युद्ध से उत्पन्न आपातकालिक स्थितियों से निपटने के लिए की गई थी। इस अध्यादेश में ब्रिटिश इंडिया में विदेशियों के प्रवेश करने, उपस्थित रहने यहां प्रस्थान करने पर प्रतिबंध लगाने का उपबंध किया गया था। इसका स्थान विदेशियों विषयक अधिनियम, 1940 ने लिया। अधिनियम की धारा 1(3) में यह उपबंधित है कि यह अधिनियम अपने अस्तित्व में रहते तथा उसके भी छः माह पश्चात् की अवधि तक लागू रहेगा। यह अधिनियम, 30 सितम्बर, 1946 को समाप्त हुआ।

8.1.2 विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 पांच बार संशोधित किया गया, 1947 में दो बार तथा फिर वर्ष 1951, 1957 और 1962 में संशोधित किया गया। वर्ष 1947 का संशोधन ब्रिटिशर्स से राज्य सरकार को शक्ति के हस्तांतरण और देश के विभाजन के परिणामस्वरूप किया गया। कतिपय राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिकों के निर्बाध प्रवेश की व्यवस्था वर्ष 1957 के संशोधन के द्वारा की गई।

8.1.3 यह छोटा सा अधिनियम है, इसमें क्रमशः धारा 10 और 17 के निरसन के पश्चात् केवल 15 धाराएं शेष हैं। यह भारत में

विदेशियों के प्रवेश, यहां उनकी उपस्थिति और यहां से उनके प्रस्थान करने के बारे में सरकार को कतिपय शक्तियां प्रदान करने के प्रयोजन से अधिनियमित किया गया था। यह समस्त भारत के लिए लागू होता है। अधिनियम के संगत उपबंध निम्नलिखित हैं:—

(एक) धारा 3(1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को सभी विदेशियों के संबंध में या किसी विहित वर्ग या विवरण के विदेशी के संबंध में, भारत में प्रवेश या उससे उनके प्रस्थान या उसमें उनकी उपस्थिति को प्रतिषिद्ध, विनियमित या निर्बाधित करने के लिए और धारा 3(2) के अधीन किसी विदेशी को अपनी पहचान का प्रमाण देने, अपना फोटो प्रस्तुत करने, अपने हस्ताक्षरों का नमूने देने, चिकित्सीय परीक्षा कराने जैसे विशिष्ट विषयों के बारे में विशिष्ट आदेश पारित करने, कतिपय व्यक्तियों के साथ मेलजोल तथा कतिपय क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करने और कतिपय वस्तुएं रखना निषिद्ध करने, विदेशियों के आचरण को विशिष्ट रूप में विनियमित करने, विनिर्दिष्ट निर्बंधनों या शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिए बंधपत्र निष्पादित करने, उनको गिरफ्तार, निरुद्ध या परिरुद्ध करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(दो) धारा 3 के केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिकों पर तथा अन्य विदेशियों पर, अपने आदेश में विनिर्दिष्ट कतिपय मामलों के बारे में, इस अधिनियम के उपबंधों को लागू न करने की शक्तियां प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त इस धारा में केन्द्रीय सरकार को, आदेश द्वारा इसमें विनिर्दिष्ट अपवादों, उपात्तों या शर्तों के अधीन अधिनियम के उपबंधों को कतिपय परिस्थितियों में विदेशियों पर लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है।

(तीन) धारा 4(1) केन्द्रीय सरकार को किसी भी विदेशी (नजरबंद) के संबंध में, जिसे धारा 3(2) (छ) के अधीन निरुद्ध या परिरुद्ध रखने का आदेश दिया गया है, उसके भरण-पोषण, अनुशासन और अपराधों के दंड और अनुशासन के भंग होने से संबंधित शर्तें निर्धारित करते हुए आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 4(2) के अधीन सरकार परोल पर छोड़े गए किसी विदेशी को किसी विनिर्दिष्ट स्थान पर रहने तथा निर्धारित की गयी शर्तों का पालन करने के लिए कह सकती है।

(चार) धारा 4(3) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी नजरबंद या परोल पर छोड़े गए किसी विदेशी की अभिरक्षा से निकल भागने में जानबूझकर सहायता नहीं करेगा और जानबूझकर सश्रम नहीं देगा। इसके अतिरिक्त इस धारा में किसी भी व्यक्ति के लिए निकल भागे, नजरबंद या परोल पर छोड़े गए व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने में बाधा कारित करना निषिद्ध किया गया है।

(पांच) केन्द्रीय सरकार धारा 4(4) के अधीन आदेश द्वारा उन स्थानों तक जहां नजरबंद या परोल पर छोड़े गए विदेशियों को निरुद्ध या निर्बाधित रखा गया है पहुंच और उनमें व्यक्तियों के आचरण को विनियमित करने के लिए और ऐसे स्थानों के बाहर से ऐसे नजरबंद या परोल पर छोड़े गए व्यक्ति को विहित वस्तुएं भेजने या ले जाने के विनियमन के लिए उपबंध कर सकती है।

(छः) धारा 5 के उपबंधों के अनुसार भारत में प्रवेश करने वाला कोई भी विदेशी किसी भी प्रयोजन से अपना नाम नहीं बदल सकेगा या किसी अन्य नाम का प्रयोग नहीं कर सकेगा, भारत में प्रवेश करने से पूर्व वह जिस नाम से ज्ञात था।

(सात) धारा 6 भारत में आने वाले या भारत से जाने वाले किसी पोत या विमान के मास्टर या विमान चालक के लिए विहित प्राधिकारी, किसी जिलाधीश या पुलिस आयुक्त को विहित रीति से पोत या विमान के यात्रियों या कर्मियों में विदेशियों की विवरणी देना बाध्यकर बनाती है। यह धारा प्राधिकारियों को यह शक्ति भी प्रदान करती है कि वे पोत के मास्टर या विमान के चालक से पोत या विमान में इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए भारत में प्रवेश करने वाले किसी विदेशी के लिए या जिसे इस अधिनियम के अधीन भारत में न रहने का आदेश दिया गया हो, स्थान की व्यवस्था करने के लिए निदेश दे सकते हैं।

(आठ) धारा 7 के अधीन होटल चलाने वालों से तथा अन्य ऐसे व्यक्तियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने परिसरों में ठहरे विदेशियों का विवरण प्रस्तुत करें ऐसी जानकारी का रिकार्ड जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा या जिलाधीश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सके।

(नौ) धारा 7 के अधीन विहित प्राधिकारी को उन स्थानों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की गई है जहां विदेशी बार-बार आते रहते हैं।

(दस) किसी ऐसे विदेशी की राष्ट्रीयता का विनिश्चय, जिसे एक से अधिक देश के राष्ट्रिक के रूप में मान्यता प्राप्त है या जिसकी राष्ट्रीयता निश्चित नहीं है, अधिनियम की धारा 8 के अनुसार किया जाएगा। विहित प्राधिकारी, पहले मामले में उसे उस देश

का राष्ट्रिक मानेगा जिसे वह तत्समय उसके हित में या सहानुभूति में अधिक निकटतम रूप से संबंधित प्रतीत होता है और यदि उसकी राष्ट्रीयता अनिश्चित है तो उस देश का जिससे वह सबसे बाद में इस प्रकार संबंधित था।

ऐसे व्यक्तियों की राष्ट्रीयता के बारे में विहित प्राधिकारी द्वारा किया गया विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी न्यायालय में प्ररनगत नहीं होगा। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वप्रेरण से या संबंधित विदेशी के आवेदन पर ऐसे विनिश्चय का पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

(ग्यारह) राष्ट्रीयता के विनिश्चय के अतिरिक्त, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट वर्ग विदेशी है या नहीं, धारा 9 के अधीन यह साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर ही होगा।

(बारह) धारा 11 के अधीन, इस अधिनियम द्वारा कोई निदेश देने के लिए या किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त कोई प्राधिकारी, इस अधिनियम में उपबंधित किसी कार्यवाही के अतिरिक्त, ऐसी कार्यवाही कर सकता है या बल प्रयोग कर सकता है जो ऐसे निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए या निदेशों या आदेशों का भंग होना निवारण करने के लिए या ऐसी शक्ति के प्रभावपूर्ण प्रयोग के लिए न्यायोचित रूप में आवश्यक है। यह शक्ति किसी पुलिस अधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी।

ऐसे प्राधिकारी या पुलिस अधिकारी को इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी भी भूमि या अन्य सम्पत्ति तक पहुंचने का अधिकार होगा।

(तेरह) इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्राधिकारी धारा 12 के अधीन, किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को, सशर्त या अन्यथा, उन शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए सक्षम है।

(चौदह) अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन धारा 14 के अधीन अपराध है। 'उल्लंघन' शब्द को धारा 13 में व्यापक अर्थ दिया गया है। इस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का उल्लंघन या दुष्प्रेरण करने की तैयारी करता है या प्रयास करता है या उल्लंघन में कोई कार्य करता है या दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो यह समझा जाएगा कि उसने इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है।

(पन्द्रह) धारा 14 में अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन दिए गए किसी आदेश या अधिनियम या ऐसे आदेश के अनुसरण में दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने के लिए पांच वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस धारा में यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि ऐसे व्यक्ति ने अधिनियम की धारा 3(2) के अधीन कोई बंधपत्र दिया है तो उसका बंधपत्र सम्पन्न कर लिया जाएगा और उसे जुर्माने का संदाय करना होगा या अन्यथा न्यायालय का समाधान करना होगा।

8.2 अधिनियम की धारा 3, 3क, 4 और 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने बहुत से आदेश जारी किए हैं। वे आदेश इस प्रकार हैं:

8.2.1 विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 निकाला गया विदेशियों विषयक आदेश, 1948 में केन्द्रीय सरकार द्वारा 'सिविल प्राधिकारी' नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है और इस प्राधिकारी को बहुत सी शक्तियां दी गई हैं, जैसे—भारत में प्रवेश करने या भारत से प्रस्थान करने की अनुमति देने की शक्ति, जो विदेशी भारत में प्रवेश करना चाहते हैं या भारत से प्रस्थान करना चाहते हैं उनकी जांच पड़ताल करने की शक्ति, अनुमति के बिना भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी को भारत से बाहर ले जाने के लिए जलयान के मास्टर या विमान के चालक से कहने की शक्ति, किसी विदेशी को किसी प्रतिषिद्ध स्थान पर निवास करने की अनुमति देने की शक्ति, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से किसी क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने तथा अन्य बातों के साथ-साथ किसी विदेशी का उस क्षेत्र में प्रवेश निषिद्ध करने की शक्ति, किसी विदेशी को रोजगार प्राप्त करने या किसी उपक्रम में प्रवेश करने की अनुमति देने की शक्ति, विदेशियों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति और कतिपय परिस्थितियों में विदेशियों के लिए क्लबों तथा रेस्तरांओं को बंद करने की शक्ति।

आदेश के अन्य उपबंध नाविकों तथा विमान के चालकदल के सदस्यों को पत्तन पर या हवाई अड्डों पर उतरने की विशेष अनुमति देने, फिल्म बनाने, पर्वतारोहण, छावनी क्षेत्रों से विदेशियों के निष्कासन, देश निष्कासन पर होने वाले व्यय से संबंधित है।

आदेश में 'सिविल प्राधिकारी' को एक ऐसे प्राधिकारी के रूप में परिभाषित किया गया है जो उस क्षेत्र के लिए इस प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए।

8.2.2 विदेशियों विषयक (छूट) आदेश, 1957, अधिनियम की धारा 3क के अधीन कुछ राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिकों तथा

अन्य व्यक्तियों पर इस अधिनियम के तथा विदेशियों विषयक आदेश के लागू होने पर छूट देने के लिए बनाया गया था परन्तु यह आदेश 18 जून, 1984 से निरस्त हो गया।

8.2.3 विदेशियों विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958, अधिनियम की धारा 3 के अधीन, संरक्षित क्षेत्र में विदेशियों का प्रवेश निषिद्ध करने के लिए बनाया गया था।

8.2.4 विदेशियों विषयक (संचालन पर प्रतिबंध) आदेश, 1960, धारा 3 के अधीन, चीनी राष्ट्रिकों (चीन के तिब्बती क्षेत्र के मूल निवासियों सहित) के प्रवेश तथा प्रस्थान करने पर प्रतिबंध लगाता है।

8.2.5 विदेशियों विषयक (क्रियाकलापों पर प्रतिबंध) आदेश, 1962, अधिनियम की धारा 3 के अधीन, सिविल प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना पश्चिम बंगाल के कतिपय क्षेत्रों में विदेशियों द्वारा (भूटान तथा नेपाल के राष्ट्रिकों के अतिरिक्त) फोटोग्राफ आदि लेना निषिद्ध करता है।

8.2.6 विदेशियों विषयक (नजरबंदी) आदेश, 1962 में जो अधिनियम की धारा 3, 4 और 8 के अधीन बनाया गया था, भारत के साथ युद्धरत पाकिस्तान तथा कतिपय अन्य देशों के राष्ट्रिकों तथा ऐसे देशों की सहायता करने वालों तथा अन्य विदेशियों की नजरबंदी का प्रावधान किया गया है।

8.2.7 विदेशियों विषयक (चीनी राष्ट्रिकों पर प्रतिबंध) आदेश, 1962, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन बनाया गया था और इसमें अनुमति के बिना अपने रजिस्टर किए गए स्थान से अनुपस्थित रहने अथवा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा नई दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थान से विमान या जलयान द्वारा चीनी राष्ट्रिकों का भारत से बाहर जाना निषिद्ध बनाया गया है।

8.2.8 विदेशियों विषयक (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963, अधिनियम की धारा 3 के अधीन बनाया गया, प्रतिबंधित क्षेत्रों में विहित प्राधिकारी की अनुमति के बिना विनिर्दिष्ट के सिवाय विदेशियों के प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाता है।

8.2.9 नजरबंदी (अनुशासन और अपराध) आदेश, 1963, अधिनियम की धारा 4 के अधीन बनाया गया था और इसमें नजरबंदी कैम्प अनुशासन के विरुद्ध किसी नजरबंदी द्वारा किए गए अपराधों के लिए शास्तियां विहित की गई हैं तथा अन्य दंडिक अपराधों से निपटने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

8.2.10 विदेशियों विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964, अधिनियम की धारा 3 के अधीन बनाया गया यह आदेश केन्द्रीय सरकार को एक अधिकरण गठित करने और कोई व्यक्ति विदेशी है अथवा नहीं इस प्रश्न को अधिकरण को निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है।

8.2.11 विदेशियों विषयक (पाकिस्तानी राष्ट्रिकों पर प्रतिबंध) आदेश, 1965, धारा 3 के अधीन बनाया गया। इस आदेश में संबंधित सिविल प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना किसी पाकिस्तानी राष्ट्रिक के लिए अपना रजिस्टर किया गया स्थान छोड़ना निषिद्ध बनाया गया है।

8.2.12 विदेशियों विषयक (निवास पर प्रतिबंध) आदेश, 1968, धारा 3 अधीन बनाया गया था। इस आदेश के द्वारा किसी विदेशी को (उस विदेशी को छोड़कर जो विदेशी राजनयिक मिशन, कौंसलीय पद या व्यापारिक मिशन का सदस्य है या उसके परिवार का सदस्य है या ऐसे विदेशी की सेवा में नियुक्त है) भारत में राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या व्यापारिक मिशन के परिसर में सिविल प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा बिना निवास करना निषिद्ध बनाया गया है।

8.2.13 विदेशियों विषयक (पुलिस को रिपोर्ट) आदेश, 1971 अधिनियम की धारा 3 के अधीन बनाया गया। इस आदेश में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी ऐसे मकान मालिक या अन्य व्यक्ति के लिए उसके निवासगृह में या किसी अन्य परिसर में किसी विदेशी के आने या उपस्थित होने के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करना बाध्यकर बनाया गया है।

8.2.14 विदेशियों विषयक (पाकिस्तानी राष्ट्रिकों पर प्रतिबंध) आदेश, 1971, अधिनियम की धारा 3 के अधीन बनाया गया। इस आदेश में किसी पाकिस्तानी राष्ट्रिक का पूर्वानुमति के बिना अपना स्थान छोड़ना या वहां से अनुपस्थित रहना निषिद्ध किया गया। यह आदेश 1978 में निरस्त हो गया।

8.2.15 विदेशियों विषयक (पहिचान का प्रमाण) आदेश, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988 और 1991, अधिनियम की धारा 3 के अधीन बनाए गए थे। ये आदेश अल्पावधि के लिए थे और इनमें विदेशियों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे अपने यात्रा संबंधी दस्तावेज रजिस्ट्रेशन के प्रमाण-पत्र और रिहायशी परमिट हर समय अपने साथ रखेंगे और मांगे जाने पर इन्हें प्रस्तुत करेंगे।

8.3 आप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 — यह अधिनियम भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) से बहुत बड़ी संख्या में हुए प्रवास के परिणामस्वरूप असम राज्य में उत्पन्न हुई आर्थिक तथा कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था।

(एक) इस अधिनियम से केन्द्रीय सरकार को असम से उन कतिपय प्रवासियों के निष्कासित करने के आदेश देने की शक्तियाँ प्राप्त हुईं जो सामान्यतया भारत से बाहर के किसी स्थान के निवासी थे, 1 मार्च, 1950 से पूर्व या पश्चात् भारत में आ गए थे और जिनका यहां रहना केन्द्रीय सरकार के विचार में भारत की जनता या उसके किसी वर्ग या असम की अनुसूचित जनजाति के हित में हानिकारक था। तथापि, उन प्रवासियों को इस उपबंध के लागू होने से छूट दी गई जिन्होंने सिविल उपद्रवों के कारण या उनके भय के कारण प्रवास किया था।

(दो) इस अधिनियम की धारा 2 से केन्द्रीय सरकार को ऐसे व्यक्तियों को ऐसी अवधि में और ऐसे रास्ते से जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए भारत या असम से अपने को हटा लेने के लिए कह सकेगी और उनको हटाने के लिए आवश्यक निर्देश देने की शक्ति प्राप्त होगी।

(तीन) अधिनियम के अधीन शक्ति प्राप्त प्राधिकारी, धारा 4 के अधीन, इसके अतिरिक्त ऐसे कदम उठा सकेंगे और ऐसा बल प्रयोग कर सकेंगे जो ऐसी शक्तियों के प्रयोग के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हों।

(चार) अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम की धारा 2 के अधीन दिए गए किसी आदेश, का उल्लंघन, उल्लंघन करने का प्रयास करने या उल्लंघन के लिए प्रेरित करने वाले को तीन वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय बनाया गया है। तथापि, सद्भावपूर्वक कार्य करने वालों को अधिनियम के अधीन संस्थित की गई विधिक कार्यवाही या वाद से छूट दी गई है।

(पांच) यह अधिनियम आवश्यक संशोधनों के साथ 1962 में नागालैण्ड राज्य ने स्वीकार कर लिया और 1969 में मेघालय राज्य में भी इसे लागू किया गया है।

8.4 अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983—भारत में वैध पार-पत्र के बिना 25 मार्च को तथा इसके पश्चात् आ गए विदेशियों का न्यायिक प्रक्रिया द्वारा शीघ्रता से पता लगाने हेतु विशेष उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था ताकि केन्द्रीय सरकार अवैध प्रवासियों को भारत से निष्कासित कर सके और भारत के वास्तविक नागरिकों की रक्षा कर सके।

यह अधिनियम, जिसके पूर्व में अध्यादेश था, असम राज्य में 15 अक्टूबर, 1983 को प्रवृत्त हुआ। तथापि, सरकार को इस अधिनियम की अधिसूचना जारी करके विभिन्न राज्यों में प्रवृत्त करने की शक्ति प्राप्त है। किसी प्रकार सरकार ने असम तक ही सीमित रखा जो अवैध प्रवास की समस्या से बुरी तरह प्रभावित था।

(एक) अधिनियम की धारा 5 में केन्द्रीय सरकार को इस प्रयोजन से उतने अधिकरण स्थापित करने की शक्ति दी गई है जितने कि वह इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे।

(दो) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी है अथवा नहीं तो केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रश्न को विनिश्चय के लिए उस अधिकरण को निर्देशित करेगी जिसकी अधिकारिता की क्षेत्रीय सीमाओं में ऐसे निर्देश में उल्लिखित व्यक्ति का निवास स्थान स्थित है। केन्द्रीय सरकार ऐसा निर्देश किसी ऐसे व्यक्ति के अभ्यावेदन पर जिसके विरुद्ध विदेशियों विषयक अधिनियम के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया, जिसमें उससे भारत में न रहने की अपेक्षा की गई है या किसी अन्य व्यक्ति के आवेदन पर कर सकेगी। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रश्न के विनिश्चय के लिए कि आवेदन में उल्लिखित व्यक्ति अवैध प्रवासी है अथवा नहीं अधिकरण को आवेदन दे सकता है।

(तीन) धारा 9 के अधीन अधिकरण को साक्षियों को सम्मन करने तथा उनकी परीक्षा करने, किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने, शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करने, किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख मंगाने, साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालने के मामलों में सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

(चार) अधिनियम में यह अपेक्षा की गई है कि निर्देश में उल्लिखित व्यक्ति को अपना अभ्यावेदन देने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाए। धारा 13 में अधिकरण के लिए निर्देश या आवेदन की जांच ऐसे निर्देश या आवेदन की प्रति की संबंधित व्यक्ति पर तामील की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर यथासंभव शीघ्र पूरी करना अनिवार्य बनाया गया है।

(पांच) केन्द्रीय सरकार या निर्देश या आवेदन में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति यदि अधिकरण के किसी आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 15 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किए गए अवैध प्रवासी (अवधारण) अपील अधिकरण को अपील कर सकेगी।

(छः) केन्द्रीय सरकार को अवैध प्रवासियों के रूप में पहचान किए गए व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भारत से निष्कासित करने का निर्देश देने की शक्ति प्राप्त होगी।

पुलिस अधिकारियों को, जो पुलिस अधीक्षक के पद से कम नहीं, ऐसे आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

(सात) अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने असम राज्य में 16 अधिकरण और एक अपील अधिकरण स्थापित किया। इन 16 अधिकरणों में से केवल पांच अधिकरण क्रियाशील हैं और शेष धनराशि और संसाधनों की कमी के कारण क्रियाशील नहीं हैं। अधिकरणों ने 23,976 मामले संज्ञान में लिए और 9599 प्रवासियों की अवैध प्रवासियों के रूप में पहचान की है और इनमें से भी 15 वर्ष की अवधि में केवल 1454 प्रवासियों को वापस भेजा जा सका है।¹⁸ इन आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकरण वह उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाए हैं जिसके लिए उनकी स्थापना की गई थी। विदेशियों के रूप में पहचान करने की समस्त प्रक्रिया में बहुत समय लगता है और यह अव्यवहारिक भी है। इसलिए, अवैध प्रवास निरन्तर रूप से जारी है।

9. निर्णय विधि

9.1 वर्ष 1950 से 1971 की अवधि में विदेशियों विषयक अधिनियम के अधीन जो भी मामले बने उनमें से अधिकांश इस विनिश्चय से संबंधित थे कि संबंधित व्यक्ति विदेशी था या नहीं।¹⁹ इस प्रश्न का विनिश्चय 1957 के इस आशय के संशोधन के साथ कि विदेशी से अभिप्राय उस व्यक्ति से था जो भारत का नागरिक नहीं था, सरल हो गया। फतह मुहम्मद बनाम दिल्ली प्रशासन²⁰ मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आवेदक विदेशी की 1957 के संशोधन से पूर्व की परिभाषा के अनुसार निश्चित रूप से विदेशी नहीं था। तथापि, संशोधित परिभाषा के अनुसार वह विदेशी हो गया और उसने संशोधित परिभाषा के कार्यान्वित हो जाने पर उसे तामील किए गए आदेश का उल्लंघन किया। इस प्रकार आवेदक ने अधिनियम की धारा 14 के अर्थों में दिल्ली प्रशासन द्वारा उसे दिए गए आदेशों का पालन न करके अपराध किया है।

आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम अब्दुल कादिर²¹ मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि तब तक दोषसिद्धि नहीं होगी जब तक कि साक्ष्य में यह अभिधारित नहीं हो जाता कि प्रत्यर्थी विदेशी था अर्थात् भारत का नागरिक नहीं था।

बम्बई राज्य बनाम इब्राहिम²² मामले में बम्बई उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि एक व्यक्ति जो, मूलतः ब्रिटिश नागरिक है, किसी विदेश द्वारा दिए गए पार-पत्र पर भारत में आया है और उसके द्वारा प्राप्त किए गए वीजा के अधीन वह यह दावा करता है कि वह विदेशी राष्ट्रिक है और एक सीमित अवधि के लिए भारत भ्रमण पर आया है तो वह अधिनियम के संशोधित परिभाषा खण्ड के अधीन भारत का नागरिक नहीं है।

अब्दुल अतीम बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य²³ मामले में उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 के लागू होने के लिए यह अनिवार्य है कि जिस तिथि को धारा के अधीन आदेश पारित किया गया है उस तिथि को वह व्यक्ति विदेशी होना चाहिए। भारत में उसके प्रवेश की तिथि विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 3(2) (ग) के अधीन उठने वाले प्रश्न के विचारार्थ निरर्थक है।

9.2 निम्नलिखित मामलों में न्यायालयों ने अधिनियम के उद्देश्य और क्षेत्र की व्याख्या की है।

बावतरां बनाम बी०सी० शाह²⁴ मामले में अधिनियम के उद्देश्य का निर्देश करते हुए इस प्रकार टिप्पणी की थी:—

“ धारा 3 से अधिनियम का उद्देश्य अन्य बातों के साथ भारत में किसी विदेशी की उपस्थिति और निरन्तर उपस्थिति निर्धारित करने, विनियमित करने तथा निर्बन्धित करने के उपबंध करना प्रतीत होता है। इसका आशय भारत में किसी विदेशी के रहने के लिए शर्तें विहित तथा विनिर्दिष्ट हेतु कार्यपालक प्राधिकारी को शक्ति प्रदान करना प्रतीत होता है। अत्यन्त विस्तृत प्रकार के या असीमित निर्बन्धन और निषेध और विनियम विधिवत रूप में विहित तथा विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं। विधायिका का आशय प्रत्यक्ष कारणों से सरकार व्यापकतम संभव शक्तियाँ प्रदान करना है। कोई विदेशी संविधान के अन्तर्गत नागरिक के रूप में किसी गारंटी या मूल अधिकारों का हकदार नहीं है। कोई विदेशी भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। उसकी उपस्थिति भारत की सुरक्षा के लिए अवांछनीय हो सकती है। उसकी उपस्थिति किसी भी प्रकार के किसी अन्य कारण से अवांछनीय हो सकती है और ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका भारत में किसी विदेशी की उपस्थिति के समस्त

मामले को सरकार के कार्यकारी स्वविवेक पर छोड़ देना चाहती है। धारा 3 के उपबंध अधिनियम के उद्देश्य को पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर देते हैं।"

गिल्स फीफर बनाम भारत संघ²⁵ मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि याचिकादाता को, उसके विदेशी होने के कारण से, अनुच्छेद 19(1) (ड) के अधीन कोई मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। 1946 के अधिनियम ने केन्द्रीय सरकार को किसी विदेशी के निष्कासन के बारे में पूर्ण तथा निर्बाध स्वविवेकाधिकार और अनियंत्रित अधिकार प्रदान किया है। एक बार में भारत में रहने के लिए समय सीमा बढ़ाने हेतु दिया गया आवेदन अस्वीकृत हो जाने पर मूल अधिकार की तो बात ही छोड़िए, उसे देश में रहने का दावा करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त धारा 3 के अधीन आक्षेपित आदेश इस आधार पर भी निष्फल नहीं हो जाता कि यह न्यायोचित आदेश नहीं है अथवा इसे नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है।

केरल उच्च न्यायालय ने बी०एस०अलत्रिच बनाम जिलाधीश²⁶ मामले में अधिनियम के विस्तार का स्पष्टीकरण करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की है:—

"अधिनियम की विस्तृत प्रस्तावना में ऐसा कुछ नहीं है जो यह दर्शाता हो कि यह केवल विदेशियों के स्वैच्छिक प्रवेश, स्वैच्छिक उपस्थिति तथा स्वैच्छिक प्रस्थान के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा। कोई विदेशी, किन्हीं भी परिस्थितियों में भारत में आए, एक बार उसके भारत में उपस्थित होने पर, विदेशियों विषयक अधिनियम के साथ पठित विदेशियों विषयक के अधीन सिविल अधिकारी को कार्यवाही करने का पूरा अधिकार है।"

खलील अहमद बनाम उत्तर प्रदेश²⁷ मामले में उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विधानमंडल ने उन मामलों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया है जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार आदेश बना सकेगी। यह एक सशर्त विधान था और इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि ये अधिनियम की धारा 3 से परे हैं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ए०एच० मेजरामनस बनाम एस० के० घोष²⁸ मामले में टिप्पणी की:—

"विधानमंडल प्रस्तावना और धारा 3 तथा धारा 3क दोनों ही में विधान के सिद्धान्त और नीति दर्शाए हैं। मानक और मानदण्ड, जिन पर शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा, स्पष्टरूप से परिभाषित किए गए हैं। विधान के उद्देश्य या नीति के बारे में न्यायालय के लिए अनुमान लगाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। कार्यपालिका के लिए भी नीति या सिद्धान्तों के विनिश्चय के बारे में भी कुछ नहीं छोड़ा गया है, केवल व्यक्तिगत मामलों में सिद्धान्तों को लागू करना कार्यपालिका के लिए छोड़ा गया है। ऐसी स्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता कि विदेशियों विषयक अधिनियम, 1948 के अधीन कार्यपालिका को निर्धारित से अधिक प्रत्यायोजन हुआ है²⁹।"

9.4 निर्णय-विधि से पता चलता है कि यह विनिश्चय करना कि कोई व्यक्ति विदेशी है अथवा नहीं तथ्यात्मक प्रश्न है और इससे कोई कठिनाई पैदा नहीं होती है, यह कि ऐसे विदेशियों से निपटने के लिए जिनकी उपस्थिति भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है, सरकार को विस्तृत शक्ति दी गई है, यह कि नागरिकों के लिए गारंटी किए गए मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं, यह कि अधिनियम का आशय सभी विदेशियों से निपटना है चाहे जिन परिस्थितियों में वे भारत में आए हों, और यह कि अधिनियम में शक्तियों के अत्यधिक प्रत्यायोजन जैसा कोई दोष नहीं है क्योंकि विधानमंडल ने विधान के सिद्धान्त और नीति तथा मामले के विनिश्चय के लिए मानदंड तथा मानक स्पष्ट रूप से निर्धारित किए हैं जैसा कि प्रस्तावना, धारा 3 और 3क, अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय कार्यपालिका के मार्गदर्शन के लिए, से स्पष्ट है।

9.5 ऐसा प्रतीत होता है कि विदेशियों विषयक अधिनियम के अधीन अपील्य तथा उच्चतर न्यायालयों द्वारा अधिक मामले निर्णित नहीं किए गए हैं। उच्च न्यायालयों द्वारा केवल दो मामलों में निर्णय दिया गया है जो ऑल इंडिया रिपोर्टर में गत छः वर्षों में (1994-99) में रिपोर्ट किए गए हैं। ये मामले हैं गिल्स फीफर³⁰ और फ्रैंड हावर्ड हीयरिंग बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य³¹।

फ्रैंड हावर्ड हीयरिंग मामले में, एक विदेशी याचिकादाता को भारत में प्रवेश करने तथा रहने की सीमित अनुमति प्राप्त थी। उसने अपने को 1946 के तथा 1939 के विदेशियों विषयक नियमों के अधीन अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्टर नहीं कराया। वीजा की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात उसने अपने भारत में रहने की समय सीमा बढ़ाने के लिए भी आवेदन नहीं किया। अतः उसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्वदेश वापसी का आदेश पारित कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आदेश में कोई खामी या अनियमितता नहीं है, और न ही नैसर्गिक सिद्धान्तों का कोई उल्लंघन हुआ है। ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके आधार पर याचिकादाता के पक्ष की सुनवाई की जाए।

9.6 इन मामलों से एक ओर तो यह पता चलता है कि न्यायपालिका ने विदेशियों विषयक अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के पक्ष में धारा 3 की उदार व्याख्या की है। दूसरी ओर यह पता चला है कि उच्च न्यायालयों में या उच्चतम न्यायालय में इस विषय में अधिक वाद दायर नहीं किए गए थे। इस प्रकार निर्णय-विधि कोई मार्ग निर्देश देने में अधिक सहायक नहीं है।

9.7 निष्कर्षतः विभिन्न विधिक उपायों तथा उन्नत सीमा प्रबंधन तथा सचल कार्यकारी बल जैसे कतिपय अन्य उपायों के उपरान्त भी, समस्या का तनिक भी समाधान नहीं हुआ अपितु यह और अधिक गम्भीर हुई है।

10. विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक, 1998

10.1 विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक, 1998 के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 में उसके विभिन्न उपबंधों या उसके अधीन किए गए आदेश या निदेश के अतिक्रमण को वर्गीकृत नहीं किया गया है। इसमें केवल ऐसे दण्ड का उपबंध किया गया है जो पांच वर्ष की अवधि तक का और जुर्माने का हो सकेगा जबकि विभिन्न अपराधों के लिए दण्ड की मात्रा न्यायालय के विवेकाधिकार पर छोड़ दी गई है। तथापि, दोषी व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अधीन जमानत प्राप्त कर लेते हैं जबकि ये मामले अधिनियम के अधीन संज्ञेय, अज्ञमानतीय और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होते हैं। इन कमियों को ध्यान में रखते हुए, विधेयक में निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किया गया है:

- (एक) अपराधों को वर्गीकृत करना,
- (दो) किए गए अपराध की गम्भीरता के अनुसार दंड की व्यवस्था,
- (तीन) दंड की मात्र में वृद्धि करना।

10.2 विधेयक के उपबंध

(एक) विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक, 1998 विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की मूल धारा 14, 14क तथा 14ख द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित धारा 14 में ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो मूल अधिनियम के उपबंधों का या उसके अधीन किसी आदेश या निदेश का उल्लंघन करता है, विधिमाम्य वीजा की अवधि समाप्त हो जाने पर विधिमाम्य पार-पत्र के बिना भारत में रहता है या विधिमाम्य वीजा की शर्तों का उल्लंघन करता है, 5 वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस धारा में यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि ऐसे व्यक्ति ने कोई बंधपत्र दिया है तो उसे समपहृत कर लिया जाएगा और उसके द्वारा आबद्ध व्यक्ति उसके लिए शांति का संदाय करेगा या दोषसिद्ध करने वाले न्यायालय का अन्यथा समाधान करेगा।

(दो) प्रस्तावित धारा 14क में यह उपबंध किया गया है कि जो कोई व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना किसी निर्बन्धित क्षेत्र में प्रवेश करता है या अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक ऐसे क्षेत्र में ठहरता है या इस अधिनियम में किए गए किसी आदेश या उसके अनुसरण में दिए गए किसी निदेश के अधीन अपेक्षित विधिमाम्य दस्तावेज के बिना भारत में रहता है तो वह व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु आठ वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु पचास हजार रुपये तक हो सकेगा, दंडनीय होगा। इसके उस बंधपत्र को समपहृत करने का भी प्रावधान किया है जो उस व्यक्ति ने अधिनियम के अनुसरण में किन्हीं विहित या विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों का पालन करने के लिए दिया था। धारा 14ख में उन व्यक्तियों को उस अपराध के समान ही दंडित करने का उपबंध किया गया है जो धारा 14 और 14क के अधीन दंडनीय किसी दंडनीय अपराध के लिए दुष्प्रेरण करेंगे। धारा 14ख के स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया कहा जाएगा यदि वह उकसाने के परिणामस्वरूप या किसी षडयंत्र के अनुसरण में या ऐसी सहायता से किया जाता है जिससे अपराध गठित होता है।

प्रस्तावित धारा 14क तथा 14ख में विहित की गई अधिक दंड की व्यवस्था के परिणामस्वरूप सेशन न्यायालयों में अपराधों का विचारण किया जा सकेगा और राज्य सरकारों को दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जमानत प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदनों का विरोध करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। गत दो धाराओं अर्थात् 14क तथा 14ख में निर्बन्धित क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों में प्रवेश करने तथा ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण करने के लिए न्यूनतम कारावास तथा जुर्माने की राशि को क्रमशः आठ वर्ष तथा 50,000/- रुपये तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।

11. विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक पर संसदीय स्थायी समिति

यह विधेयक आलोचनात्मक विश्लेषण करने तथा सुझाव प्रस्तुत करने हेतु गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति को निर्दिष्ट किया गया था। समिति ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध प्रवास की समस्या के संदर्भ में 10 सितम्बर, 1998 को विधेयक पर विस्तार से विचार किया।

11.1 स्थायी समिति में सरकारी पक्ष की प्रस्तुति

(एक) सरकारी पक्ष की ओर से पड़ोसी राज्यों, विशेषकर बंगलादेश पाकिस्तान, श्रीलंका, मयनमार, तिब्बत और अन्य देश से अवैध प्रवास और उग्रवादियों तथा अन्य अपराधियों द्वारा चोरी छुपे किए जा रहे क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला। अधिकारियों ने विद्यमान विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की संरचना पूर्ववर्ती संशोधनों तथा अधिनियम में कतिपय कमियों, अर्थात्

अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए उपयुक्त तंत्र की व्यवस्था न होना, अपराधों का वर्गीकरण न होना तथा अपराधों के जमानती होने, का स्पष्टीकरण किया।

- (दो) तत्पश्चात, अधिकारियों ने संशोधनकारी विधेयक के मुख्य उपबंधों का उल्लेख किया जिनमें अपराधों का वर्गीकरण किया गया था और न्यूनतम तथा कतिपय मामलों में बढ़ाए गए अधिकतम दंड और इसके परिणामस्वरूप सेशन न्यायालय को गम्भीर अपराधों के विचारण के लिए सक्षम बनाने और जमानत मंजूर करने के लिए आवेदन किए जाने पर अभियोजन पक्ष को नोटिस जारी करने का प्रावधान किया गया था। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण प्रस्तुत किया जहां अवैध प्रवासी को विचारण पूरा होने तक जमानत नहीं दी जाती थी। उनका विचार था कि जो लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं उनके साथ कठोर व्यवहार किया जाना चाहिए। उनके विचार में विधि में इन प्रस्तावित संशोधनों से, विधि व्यवस्था अधिक प्रभावी और कठोर हो जाएगी।

11.2 स्थायी समिति में विधेयक पर चर्चा

- (एक) भारत में अवैध प्रवास से उत्पन्न समस्या की गम्भीरता पर सभी सदस्य एकमत थे। इन तथ्यों के विषय में भी सभी का एकमत था कि समस्या से निपटने के लिए वर्तमान विधि अपर्याप्त थी और यह कि प्रस्तावित संशोधन भी यद्यपि वांछनीय है, मूल विधान को सुदृढ़ बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे और यह कि इस समस्या से निपटने के लिए, जो गत वर्षों में देशव्यापी हो गई है, अधिक कठोर विधान की आवश्यकता है। इस विषय पर एक व्यापक विधान अधिनियमित करने के लिए विशिष्ट सुझाव दिया गया।
- (दो) तथापि, सदस्यों ने महसूस किया कि केवल विधि मात्र से ही किसी भी प्रकार अवैध घुसपैठ को नहीं रोका जा सकेगा, अपितु पूरी सीमा पर तार लगाने तथा कड़ी चौकसी रखने जैसे उपायों को भी सुदृढ़ बनाना होगा। कुछ सदस्यों ने महसूस किया कि इसके अतिरिक्त नागरिकों को पहचान-पत्र भी देने होंगे ताकि गैर नागरिकों की पहचान को, जातीय और धार्मिक समानताओं के कारण जो कठिन हो गई है, सरल बनाया जा सके। इससे अवैध प्रवास के समाधान में सहायता मिलेगी। तथापि, एक सदस्य ने यह सुझाव दिया कि अवैध विदेशी तत्वों की पहचान करने और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाही करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी राष्ट्रिक पहचान बल गठित किया जाए।
- (तीन) कुछ सदस्यों ने विधि के क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए 'विदेशी' तथा 'नागरिक' जैसे शब्दों को स्पष्ट तथा निश्चित रूप से परिभाषित करने, जिन मामलों में प्रमाण प्रस्तुत करने का भार अभियुक्त पर हो वहां न्यायोचित निष्पक्ष तथा कुछ प्रभावी प्रक्रिया के माध्यम से संक्षिप्त विचारण करने, अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करने और अधिनियम के अधीन सभी अपराधों को गैर जमानती बनाने जैसे विशिष्ट उपायों का सुझाव दिया। एक सदस्य ने यह विचार व्यक्त किया कि जमानत से इन्कार नहीं किया जाना चाहिए अपितु, उपयुक्त मामलों में जमानत देने का अधिकार विशेष न्यायालयों के विवेकाधिकार पर छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने आई०एम०डी०टी० अधिनियम को निरस्त करने के लिए भी कहा।
- (चार) सदस्यों ने पासपोर्ट अधिनियम तथा विदेशियों विषयक अधिनियम के बीच सामंजस्य रखने का भी सुझाव दिया। गृह सचिव ने दोनों ही सुझावों को नोट किया और एक व्यापक विधान के अधिनियम के लिए नागरिकता अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम को ध्यान में रखते हुए विदेशियों विषयक अधिनियम के बारे में एक समरस दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

11.3 समिति, 12वीं लोकसभा का विघटन हो जाने के कारण 26 अप्रैल, 1999 को निष्क्रिय हो जाने के परिणामस्वरूप विधेयक पर आगे विचार नहीं कर सकी और अपनी सिफारिशें नहीं प्रस्तुत कर सकी।

11.4 31 दिसम्बर, 1999 को नई समिति गठित हो जाने पर उसने 7 फरवरी, 2000 को विधेयक पर विचार किया। बैठक में निम्नलिखित विचार/सुझाव सामने आए (देखें रिपोर्ट के पृष्ठ 21—31)

- (एक) अधिनियम की धारा 14 का प्रस्तावित संशोधन उद्देश्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- (दो) अभियुक्त को विचारण पूरा होने तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
- (तीन) अपराधों के विचारण के लिए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।
- (चार) अधिनियम की धारा 9 को संशोधित करके अधिनियम के नियमों और आदेशों सहित सभी प्रकार के अतिक्रमणों/उल्लंघनों के प्रमाण देने का दायित्व अभियुक्त का होना चाहिए।

(पांच) अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण विशेष न्यायालयों द्वारा, जिनमें सेशन न्यायालय के न्यायाधीशों के समान पद वाले न्यायाधीश होंगे, किया जाना चाहिए।

(छः) दंड की आज्ञा सुनाते समय दोषसिद्ध विदेशी को स्वदेश वापस भेजने का आदेश देने की शक्ति न्यायालय को होनी चाहिए।

12. राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के विचार

12.1 गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, संशोधनकारी विधेयक के उपबंधों तथा विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के उपबंधों के कार्यान्वयन में उनके अनुभवों तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया के उनके सम्मुख आयीं कठिनाइयों के बारे में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विचार मांगे। इस उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने विशिष्ट प्रश्न समाविष्ट करके एक प्रश्नावली उन्हें भेजी और उस पर राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से उनके सुझाव मांगे थे। प्रश्नावली अनुबंध-दो में दी गई है। उस पर भेजी गयी प्रतिक्रियाएं अनुबंध-तीन में सारणीबद्ध की गई हैं।

12.2 कतिपय राज्यों ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 को सुदृढ़ करने की आवश्यकता बताई है और इस बारे में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:-

- (एक) विदेशियों को वीजा देने से पूर्व प्रयोजकों/निर्देशकों के पूर्व सत्यापन के लिए उपबंध;
- (दो) विदेशियों विषयक अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध व्यक्तियों को कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए पासपोर्ट/वीजा देने का निषेध;
- (तीन) पासपोर्ट जारी करने के बारे में जिला पुलिस अधीक्षक को सूचना देना;
- (चार) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अधीन विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक, 1998 की प्रस्तावित धारा 14क में विहित किए गए दंड की सीमा में वृद्धि;
- (पांच) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के अधीन बनाए गए नियमों के नियम 6 के अधीन दंड की सीमा में वृद्धि।

12.3 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने, यद्यपि अपने उत्तरों में संशोधन विधेयक का समर्थन किया, अधिनियम के अन्य उपबंधों में भी संशोधन करने की आवश्यकता बताई क्योंकि अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में उनके सम्मुख अनेकों कठिनाइयां आ रही थीं। उन्होंने विदेशियों विषयक अधिनियम के बारे में निम्नलिखित सुझाव दिए:

- (एक) आप्रवास प्राधिकारियों द्वारा विदेशियों को, उनके बारे में जांच पूरी होने तक, अस्थायी रूप से निरुद्ध रखने के लिए उपबंध किया जाना चाहिए।
- (दो) अपराधों का वर्गीकरण किया जाना चाहिए और उनके अनुसार दंड विहित किया जाना चाहिए। विदेशियों को शरण देने या राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने, नागरिकता प्राप्त करने तथा अवैध क्रियाकलापों में सहायता, अपराध बनाया जाना चाहिए।
- (तीन) अधिनियम की धारा 4(3)(क) के अधीन कोई भी कार्य प्रेरणादायी कार्य समझा जाना चाहिए। इस धारा में किसी व्यक्ति के लिए जानबूझकर किसी नजरबंद व्यक्ति या परोल पर रिहा किसी व्यक्ति को हिरासत से या उसके लिए निर्धारित स्थान से निकालने में सहायता करना या ऐसे नजरबंद या व्यक्ति को जानबूझकर आश्रय देना निषिद्ध है।
- (चार) शीघ्र जांच करने के प्रयोजन से विशेष सेल स्थापित किया जाना चाहिए।
- (पांच) अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। विदेशियों विषयक अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए दिन प्रतिदिन के आधार पर विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए और विचारण 30 दिन में पूरा होना चाहिए।
- (छः) सभी अपराधों का संक्षिप्त विचारण होना चाहिए।
- (सात) अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले विदेशियों या चोरी छुपे प्रवेश करने वालों को उनके भाग जाने से बचने के लिए उन्हें जमानत पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। विदेशियों को प्रत्याशित जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
- (आठ) विदेशियों द्वारा दी गयी प्रतिभूतियों की जांच करने के लिए उपबंध किया जाना चाहिए। प्रतिभू द्वारा जमानत की राशि न्यायालय में जमा की जानी चाहिए।

- (नौ) जाली दस्तावेजों पर जमानत प्राप्त करने के लिए अधिवक्ताओं को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।
- (दस) दस्तावेजों के बिना या जाली दस्तावेजों पर प्रवेश करने वालों के लिए, जाली करेंसी नोट लाने वालों के लिए आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने तथा विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 3 के अधीन दिए गए आदेशों का उल्लंघन करने, जासूसी करने तथा राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले कार्य करने के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- (ग्यारह) विदेशियों के विशेषकर सिद्धदोष हो जाने पर उनके द्वारा सीधे या बेनामी खरीदी गई सम्पत्ति को जप्त कर लिया जाना चाहिए।
- (बारह) प्रस्तावित धारा 14ख में 'जो कोई' शब्द 'कोई भारतीय या विदेशी' शब्दों से विशेषित किया जाना चाहिए ताकि अपराधों के प्रेरक भारतीय राष्ट्रियों को दंड दिया जा सके।
- (तेरह) दोषसिद्ध विदेशी के दंड की अवधि पूरी हो जाने पर उसे तुरन्त उसके देश में भेज दिया जाना चाहिए क्योंकि बीच की अवधि में उसकी निगरानी रखना बहुत कठिन हो जाएगा।
- (चौदह) जिन मामलों में विदेशियों के पास अपने देश वापस जाने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है उन्हें उनके देश वापस भेजने पर आने वाले खर्चों के लिए विशेष निधि की व्यवस्था होनी चाहिए।
- (पंद्रह) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विदेशियों को जारी किए गए "भारत छोड़ने के नोटिस" पर न्यायालय द्वारा रोकदेश नहीं दिया जाना चाहिए। इससे उनका भूमिगत होना रोका जा सकेगा।
- (सोलह) विदेशियों विषयक अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध व्यक्तियों के लिए अपराधी परिविक्षा अधिनियम, 1958 लागू नहीं होना चाहिए।
- (सत्तरह) भारत पहुँचने पर यात्रियों का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इस समय उन्हें विदेशियों के रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए छः माह की छूट प्राप्त है।
- (अठारह) विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 5 के अधीन जुमनि की राशि बढ़ाकर विदेशियों के लिए 20,000/- रुपये और भारतीयों के लिए 10,000/- रुपये की जानी चाहिए (धारा में कारावास का भी प्रावधान है जिसकी अवधि विदेशियों के मामले में एक वर्ष तक हो सकती है।

12.4 बहुत से राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने नागरिकता अधिनियम को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। यह सुझाव दिया गया था कि जो विदेशी दोषसिद्ध ठहराये जाएं उन्हें किसी भी स्थिति में भारतीय नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए।

13. विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधनों की योजना

13.1 विधि आयोग ने गृह मंत्रालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों, संसद की प्राक्कलन समिति की सिफारिशों, मुख्यमंत्रियों तथा मुख्य सचिवों के सम्मेलन, अवैध आप्रवास पर असम के राज्यपाल की रिपोर्ट, उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन लोकहित याचिकाओं में विभिन्न पक्षों के तर्कों (भारत संघ तथा पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर की गई पारिस्थितिक रिपोर्टों सहित), विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के उपबंधों के कार्यान्वयन में अपने-अपने अनुभवों के बारे में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विचार और यहाँ उत्तर निर्दिष्ट अन्य संगत समस्त सामग्री पर विचार किया है। विधि आयोग को किसी प्रकार के प्रस्ताव बनाने हैं इस विषय में निर्णय करना था। एक विचार यह था कि एक व्यापक विधान बनाया जाए जिसमें विभिन्न विद्यमान अधिनियमों तथा इनके अधीन बनाए गए नियमों/आदेशों को सम्मिलित किया जाए। संक्षेप में, विदेशियों विषयक समस्त विधियों, जो इस समय विभिन्न अधिनियमों तथा उनके अन्तर्गत दिए गए आदेशों में सन्निहित हैं, एक अधिनियम में समाविष्ट करने का विचार किया गया था। दूसरा विचार यह था कि विदेशियों विषयक अधिनियम में ऐसे उपबंध अन्तःस्थापित किए जाएं जो देश में इस समय व्याप्त समस्या अर्थात् विद्यमान विधायी संरचना में हस्तक्षेप किए बिना अवैध प्रवास की समस्या से निपटने में पर्याप्त रूप में प्रभावी हों। सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने दूसरे विकल्प को अपनाने का निश्चय किया। विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 में अधिनियमित किया गया था। विदेशियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं को विनियमित करने के लिए समय-समय पर बहुत से आदेश (अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त आदेश देने की शक्ति का प्रयोग करते हुए) जारी किए गए। विदेशियों विषयक अधिनियम के अतिरिक्त, दो और अधिनियम अर्थात् आप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 तथा अवैध प्रवासी (अधिकरण द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 विद्यमान हैं। पहला अधिनियम असम से प्रवासियों के निष्कासन से और दूसरा पूर्णतया अवैध आप्रवासियों का विनिश्चय और उनको स्वदेश वापस भेजने से संबंधित है। विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939,

पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1926 और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 भी विद्यमान हैं। इन सभी अधिनियमों के उपबंधों को तथा इनके अधीन बनाए गए नियमों को संहिताबद्ध करने में बहुत समय लगेगा और नए उपबंधों से नए वाद उत्पन्न होने की सदैव समस्या बनी रहेगी। हमारे विचार से इस संशोधनकारी विधेयक के प्रस्तावित उपबंधों के अननुरूप स्थिति के सिवाय वर्तमान व्यवस्था को तथावत छोड़ना ही उत्तम रहेगा। तदनुसार आयोग ने विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 2 में कतिपय परिभाषाएं तथा 7(ख) से 7(प) तक नई धाराएं अन्तःस्थापित करने का सुझाव दिया है। अन्य प्रवर्तित विधियों में किसी विरोधी प्रावधान के होते हुए भी ये उपबंध प्रभावी होंगे। हमने "अवैध प्रवेशकर्ता" पद को परिभाषित किया है, आप्रवास अधिकारी नामक अधिकारियों की एक नई श्रेणी बनाई है जिसका प्रधान मुख्य आप्रवास अधिकारी होगा। इन अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य और कार्य निर्धारित किए हैं। हमने व्यक्तियों की ऐसी कतिपय श्रेणियाँ विनिर्दिष्ट की हैं जिन्हें वीजा या अन्य वैध दस्तावेज भी प्राप्त होंगे परन्तु उन्हें फिर भी भारत में प्रवेश करने दिया जाएगा। कोई व्यक्ति अवैध प्रवेशकर्ता है अथवा नहीं इस प्रश्न का निर्णय आप्रवास अधिकारियों पर छोड़ा गया है। उनके आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकेगी जिसका विचारण आप्रवास अधिकरण द्वारा किया जाएगा जो जिलाधीश या अतिरिक्त जिलाधीश के पद पर आसीन या पद पर आसीन रहे व्यक्ति से गठित होगा। आप्रवास अधिकारी या आप्रवास अधिकरण नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों पर, ऐसी जाँच करके जो विद्यमान मामलों में वे आवश्यक समझते हों, मामलों का निर्णय करेंगे। विदेशियों की प्रास्थिति का और उन्हें स्वदेश वापस भेजने का निर्णय होने तक उन्हें निरुद्ध रखने के लिए सुविधा केन्द्रों का प्रावधान किया है। जहाँ तक अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों का संबंध है, इनका विचारण आप्रवास न्यायालयों द्वारा किया जाएगा। आप्रवास न्यायालय जिला या सेशन न्यायाधीश का ऐसा न्यायालय होगा जो उपयुक्त सरकार द्वारा जिले के लिए इस प्रयोजन से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

13.2 आयोग, इस स्तर पर एक विशिष्ट पहलु की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक समझता है। हमारे द्वारा यहाँ जिस संशोधनकारी विधेयक का सुझाव दिया गया है उसके उपबंधों के अनुसार "विदेशी" से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत का नागरिक नहीं है और विधेयक के प्रस्तावित खण्ड (कक) में 'भारत का नागरिक' वह व्यक्ति है जो भारत के संविधान भाग-दो या नागरिकता अधिनियम, 1955 के अर्थों में या प्रावधान के अनुसार भारत के नागरिक है। नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6-क के अनुसार (जो 1985 के संशोधनकारी अधिनियम 65 द्वारा 7 दिसम्बर, 1985 से पुरःस्थापित की गई) असम समझौते के अन्तर्गत किसी व्यक्ति की नागरिकता के संबंध में स्थिति इस प्रकार है:—

(क) 'भारतीय मूल के वे सभी व्यक्ति जो 1966 में जनवरी के पहले दिन से पूर्व विनिर्दिष्ट क्षेत्र से (ऐसे उन व्यक्तियों सहित जिनके नाम 1967 के "हाऊस ऑफ पीपुल" के लिए हुए आम चुनाव के लिए मतदाता सूची सम्मिलित थे) असम में आएँ, और असम में उनके प्रवेश की तिथि से ही सामान्यता: वे असम के ही निवासी थे, 1 जनवरी, 1966 से भारत के नागरिक समझे जाएंगे" (उक्त धारा में 'भारतीय मूल' को इस प्रकार परिभाषित किया गया है- "उस व्यक्ति को भारतीय मूल का समझा जाएगा यदि वह या उसके माता पिता या उसके किसी पितामह का जन्म अविभाजित भारत में हुआ था") (उक्त धारा में असम से अभिप्रेत है "नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रवर्तन से ठीक पूर्व असम राज्य में सम्मिलित किए गए क्षेत्र")।

(ख) जहाँ तक भारतीय मूल के उन लोगों का संबंध है जो वर्ष 1966 के पहले दिन या इसके पश्चात् परन्तु 25 मार्च, 1971 से पूर्व असम में आए, उनके बारे में स्थिति भिन्न है। ऐसे व्यक्ति असम में उनके प्रवेश करने के समय से वे साधारणतया 'असम' में कहाँ निवास कर रहे थे और उनके विदेशी होने का कब पता चला और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में नागरिकता अधिनियम की धारा 18 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उन्होंने विहित प्राधिकारी के पास कब रजिस्ट्रेशन कराया। जिस तिथि से उसके विदेशी होने का पता चलता है तब से 10 वर्ष की अवधि बीत जाने पर उसे भारतीय नागरिकता के सभी अधिकार हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, स्थिति यह है कि भारतीय मूल के किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसने असम में प्रवेश किया हो परन्तु जिसके विदेशी होने का पता न चला हो और उसने तदनुसार रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन न किया हो तो ऐसा व्यक्ति, उसके यहाँ रहने की समय सीमा के उपरान्त भी, भारत का नागरिक नहीं होगा। (देखें नागरिकता अधिनियम की धारा 6क की उपधारा (3), (4) और (5)।

(ग) उपर्युक्त उपबंधों से यह प्रावधान भी सामने आता है कि कोई व्यक्ति संविधान या नागरिकता अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भारत का नागरिक नहीं है और भारत के क्षेत्र में प्रवेश कर गया है (असम में सम्मिलित क्षेत्रों के अतिरिक्त) तो वह, भारत में उसके रहने की अवधि के उपरान्त भी, भारत का नागरिक नहीं होगा।

(घ) अवैध आप्रवासी अधिकरण द्वारा अवधारण अधिनियम, 1983 केवल लोगों के एक सीमित वर्ग से संबंधित है अर्थात् "25 मार्च, 1971 को या इसके पश्चात् जो व्यक्ति देश के पूर्वी या उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की सीमापार से भारत में आएँ" ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें भारत से वापस ले जाने का प्रावधान था। इस अधिनियम का आशय या अर्थात् 25-3-1971 से पूर्व भारत में आए लोगों को नागरिकता प्रदान करना भी नहीं लगाया जा सकता। यह अधिनियम नागरिकता प्रदान करने के बारे में है ही नहीं।

तथापि, गृह मंत्रालय द्वारा हमें भेजे गए टिप्पण के अनुसार "(2) इन्दिरा-मुजीब समझौता 1974 के अनुसार भूतपूर्व

पाकिस्तान के वे सभी व्यक्ति जो 25-3-1971 से भारत में आ गए थे भारत में रहते रहेंगे और अन्ततः भारत के नागरिक बन जाएंगे और भारत में 25-3-1971 को या इसके पश्चात् वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में आए उन्हें अवैध प्रवासी माना जाएगा और उन्हें बाद में बंगलादेश को वापस भेजा जाएगा" गृह मंत्रालय के इस नोट के विधिक स्थिति ठीक प्रकार से दर्शायी गयी प्रतीत नहीं होती है। जैसाकि संविधान तथा नागरिकता अधिनियम पर दृष्टि डालने से स्पष्ट होता है। तथापि, यह एक नीतिगत मामला है जिस पर सरकार द्वारा निर्णय किया जाएगा कि क्या सरकार असम के सिवाय भारत के अन्य सभी क्षेत्रों में उन क्षेत्रों से, जो अब बंगलादेश में हैं, 25-3-1971 से पूर्व आए सभी प्रवासियों को अवैध प्रवासी मानेगी या उन्हें भारत के नागरिकों के रूप में स्वीकार करेगी। एक अन्य नीतिगत निर्णय जो सरकार द्वारा किया जाना है वह यह है कि केन्द्रीय सरकार उन बंगलादेशियों के बारे में क्या कदम उठाना चाहेगी जो 1-1-1966 से 25-3-1971 के बीच असम में आ गए थे परन्तु जिनकी स्थिति नागरिकता अधिनियम की धारा 6-क की उपधारा (3) के अनुरूप नहीं थी। क्या उन्हें "अवैध प्रवासी" माना जाएगा या नहीं और यदि अवैध प्रवासी माना जाएगा तो क्या उन्हें वापस बंगलादेश भेजा जाएगा।

14. सिफारिशें

इस विषय पर विद्यमान विधानों के उपबंधों पर विचार करने के पश्चात् हमारा यह सुविचारित मत है कि पड़ोसी देशों से अवैध प्रवास की समस्या का अवैध प्रवासियों की प्रभावी तथा शीघ्र पहचान करने के लिए विधि में एक तंत्र का प्रावधान करके गम्भीर रूप में समाधान किया जाना चाहिए। अपनी सिफारिशों को एक ठोस स्वरूप प्रदान करने के लिए हमने विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 में प्रस्तावित उपबंध अन्तःस्थापित करके विदेशियों विषयक अधिनियम का संशोधन करने हेतु विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक, 2000 का प्रारूपण किया है (अनुबंध-एक में संलग्न)। विधेयक में दर्शाए गए प्रमुख संशोधनकारी प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:—

- (एक) विधेयक के संक्षिप्त नाम में विदेशियों के भारत में प्रवेश, रहने तथा प्रस्थान करने का विनियमन तथा पड़ोसी देशों से अवैध प्रवास रोकने और उनसे संबंधित प्रासांगिक या सहायक मामलों का प्रावधान किया गया है।
- (दो) हमने विभिन्न परिभाषाएं अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव किया है जिनसे में प्रमुख परिभाषाएं 'विदेशी', 'भारत के नागरिक', 'हटाने का आदेश' तथा 'स्वदेश वापस भेजने का आदेश' शब्द/पदों से संबंधित हैं।
- (तीन) हमने परिभाषा खंड में 'अवैध प्रवेशकर्ता' पद की परिभाषा को विशिष्ट रूप से समाविष्ट किया है ताकि इसे अधिक स्पष्ट किया जा सके कि भारत में किस प्रकार से प्रवेश करने वाला विदेशी अवैध प्रवेशकर्ता माना जाएगा।
- (चार) 'अग्राह्य वर्ग' को परिभाषित करने के लिए एक नई परिभाषा जोड़ी है जिसमें उन विदेशियों के वर्गों को सूचीबद्ध किया गया है जिनका भारत में प्रवेश निषिद्ध है। अन्य देशों की अप्रवास विधियों में भी ऐसे वर्ग सूचीबद्ध किए गए हैं।
- (पांच) विधेयक में एक विशिष्ट खंड जोड़ा गया है जिसमें अप्रवास अधिकारी को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह ऐसे विदेशी को भारत में प्रवेश करने की स्वीकृति नहीं देगा यदि वह अग्राह्य वर्ग से संबंधित है, वैध पासपोर्ट या वैध यात्रा दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है या अपनी पहचान या राष्ट्रीयता स्थापित नहीं कर पाता है। इस उपबंध से प्राधिकारी, प्रवेश द्वारा या प्रवेश पत्तन से ही उस विदेशी को तुरन्त वापस उसी देश भेज सकेंगे और इस प्रकार विधिक प्रक्रिया के माध्यम से यह निश्चित करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी कि विदेशी अवैध प्रवेशकर्ता है अथवा नहीं।
- (छः) विदेशी द्वारा अवैध प्रवास, बीजा की शर्तों के उल्लंघन आदि जैसी गम्भीर समस्या को रोकने के लिए हमने एक तंत्र स्थापित करने का सुझाव दिया है जो मुख्य अप्रवास अधिकारी तथा अप्रवास अधिकारियों से गठित जिनकी नियुक्ति उद्गम स्थलों पर ही केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी जो विषय से संबंधित मामलों पर शीघ्रता से तुरन्त ही कार्यवाही कर सकेंगी। सर्वप्रथम, प्रवेश स्थलों पर, अप्रवास अधिकारियों को भारत में प्रवेश पाने के इच्छुक विदेशियों की जांच करने की शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है। ऐसी जांच में यह भी देखा जा सकेगा कि क्या ऐसे व्यक्ति के पास पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज है अथवा नहीं और क्या वह अग्राह्य वर्ग में तो नहीं आता है। यदि उसके पास वैध दस्तावेज नहीं है तो अप्रवास अधिकारी को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह उस व्यक्ति को तुरन्त अपने देश लौट जाने का आदेश दे सकेगा या जांच या स्वदेश वापस भेजने की कार्यवाही पूरी होने तक उसे सुविधा केन्द्र में निरुद्ध रख सकेगा। दूसरे, जिलों के अन्य क्षेत्रों में भी, जब कभी और जहां कहीं आवश्यक हो, अप्रवास अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव है। अधिकारियों को विहित पद्धति से जांच करके यह पता लगाने की शक्ति दी गई है कि कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी है अथवा नहीं। यदि वह किसी विदेशी को अवैध प्रवेशकर्ता सुनिश्चित करता है तो वह उसे हटाने के लिए आदेश दे सकता है और इस आदेश के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले प्रस्तावित अप्रवास अधिकरण के पास अपील की जा सकेगी। ऐसा अधिकरण सेवा निवृत्त जिलाधीश के पदधारी व्यक्ति से गठित होगा। ऐसे अधिकरण का आदेश अन्तिम होगा। यदि वह अप्रवास अधिकारी द्वारा दिए गए हटाए जाने के आदेश की

पुष्टि करता है तो ऐसे विदेशी को उसके देश में वापस भेजा जाएगा। अप्रवास अधिकारी तथा अप्रवास अधिकरण मामलों का निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के आधार पर करेंगे।

- (सात) अधिनियम के अधीन अपराध या अपराधों के कथित अभियुक्त व्यक्ति के विषय में शीघ्रता से विचारण करने के लिए, हम सिफारिश करते हैं कि जिले के किसी सेशन न्यायालय को अप्रवास न्यायालय नियुक्त किए जाए जो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतों का संज्ञान कर सकेगा। अवैध प्रवास की समस्या से निपटने के लिए कुछ नए अपराध जोड़ने का भी प्रस्ताव किया गया है।
- (आठ) हमने अवैध प्रवास अधिकरण द्वारा विनिश्चय अधिनियम, 1983 के अधीन बनाए गए अधिकरणों के समक्ष तथा दंड न्यायालयों में विदेशियों विषयक अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों से संबंधित लम्बित पड़े मामलों को उपयुक्त प्राधिकारियों/अधिकरणों/न्यायालय को अन्तर्गत करने के लिए भी उपबंध किया है।

हम तदनुसार सिफारिश करते हैं।

ह^०
(न्यायमूर्ति श्री बी० पी० जीवनेरडे) (सेवानिवृत्त)
चेयरमैन

ह^०
(डा० एन० एम० घटाटे)
सदस्य

ह^०
(श्री टी० के० विश्वनाथन)
सदस्य-सचिव

दिनांक 19 सितम्बर, 2000

विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक, 2000

विदेशियों विषयक अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (एक) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक, 2000 है,
- (दो) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

संक्षिप्त नाम का प्रतिस्थापन

2. विदेशियों विषयक अधिनियम, 1964 (यहां इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) के संक्षिप्त नाम के स्थान पर निम्नलिखित संक्षिप्त नाम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“भारत में विदेशियों के प्रवेश करने, रहने तथा प्रस्थान करने का विनियमन करने और उनके अवैध प्रवेश तथा अप्रवास को रोकने और उनसे संबंधित या प्रासंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियम”

मूल अधिनियम की धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

2(एक) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (क) ‘मुख्य अप्रवास अधिकारी’ से धारा 7ख की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त मुख्य अप्रवास अधिकारी अभिप्रेत है;
- (कक) ‘भारत के नागरिक’ से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत के संविधान के अर्थों में तथा संविधान के भाग दो में उपबंधित के अनुसार और नागरिकता अधिनियम, 1955 के अर्थों में भारत का नागरिक है;
- (ख) ‘निर्वासन आदेश’ से अप्रवास अधिकारी द्वारा धारा 7झ की उपधारा (एक), 7छ की उपधारा (दो), धारा 7(ज) या धारा 7(ड) की उपधारा (छ) के अधीन पारित आदेश अभिप्रेत है।
- (ग) ‘विदेशी’ से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत का नागरिक नहीं है।
- (घ) ‘अवैध प्रवेशकर्ता’ से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो—

(एक) वैध पासपोर्ट तथा वीजा या अन्य यात्रा दस्तावेज या परमिट के बिना भारत में प्रवेश करता है; या

(दो) वैध पासपोर्ट और वीजा या भारत में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य यात्रा दस्तावेज के साथ या बिना किसी ऐसे स्थान या स्थल से, जो भारत में प्रवेश करने के लिए अभिहित स्थल या पत्तन नहीं है, प्रवेश करता है;

(तीन) वीजा या अन्य यात्रा दस्तावेज या परमिट, जिसके अधीन उसने भारत में प्रवेश किया है, में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक भारत में ठहरता है;

(चार) विदेशियों के प्रवेश, ठहरने और प्रस्थान करने को शासित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों का या उस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश का, उल्लंघन करता है;

(पांच) इस अधिनियम के अधीन उसे हटाया जाना हो या निर्वासित किया जाना हो या भारत से निर्वासित कर दिए जाने के पश्चात् भी भारत में प्रवेश कर गया हो।

(ड) ‘अप्रवास अधिकारी’ से धारा 7ख की उपधारा (एक) के अधीन नियुक्त अप्रवास अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) ‘अप्रवास अधिकरण’ से धारा 7(ड) के अधीन स्थापित अधिकरण अभिप्रेत है;

(छ) ‘व्यक्तियों का अग्रद्वार वर्ग’ से धारा 7(ज) के खंड (क) से (झ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के वर्ग अभिप्रेत है;

(ज) ‘विहित’ से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए आदेशों या नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(झ) ‘हटाए जाने का आदेश’ से अप्रवास अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 7ठ की उपधारा (एक) के अधीन पारित आदेश अभिप्रेत है;

(ञ) ‘निर्दिष्ट’ से विहित प्राधिकारी के निदेश द्वारा विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है;

(ट) ‘यात्रा दस्तावेज’ से भारत में प्रवेश के लिए किसी विदेशी को स्वीकृति प्रदान करने वाला केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन जारी किया गया यात्रा दस्तावेज अभिप्रेत है;

(ठ) इस अधिनियम में प्रयुक्त किए गए परन्तु परिभाषित नहीं किए शब्दों तथा पदों का अर्थ वही होगा जो पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 या विदेशियों विषयक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 तथा उनके अधीन बनाए गए आदेशों और नियमों में क्रमशः परिभाषित शब्दों तथा पदों को दिया गया है।

7ख से 7प तक नई धाराओं का अन्तःस्थापन

3. मूल अधिनियम की धारा 7क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जायेंगी:—

अप्रवास प्राधिकारी

‘7ख (एक) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना जारी करके एक मुख्य अप्रवास अधिकारी और इतने अप्रवास अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने कि वह इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझती है।

(दो) केन्द्रीय सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस प्रकार नियुक्त किए गए अप्रवास अधिकारी का प्राधिकार क्षेत्र परिभाषित कर सकेगी और जहां एक ही क्षेत्र के लिए दो या अधिक अप्रवास अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वहां, ऐसे आदेश द्वारा, ऐसे क्षेत्र के संबंध में इस अधिनियम के अधोनिष्पादित किए जाए जाने वाले कार्य का बटवारा और नियतन भी कर सकेगी।

(तीन) केन्द्रीय सरकार, यदि इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इस अधिनियम के अधीन अप्रवास अधिकारी के सभी या किसी कार्य निष्पादित करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगी।

(चार) अप्रवास अधिकारी इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन उन्हें सौंपे गए कार्य मुख्य अप्रवास अधिकारी के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन करेंगे।

(पांच) मुख्य अप्रवास अधिकारी, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे सौंपे गए विशेष कार्यों के अतिरिक्त, अप्रवास अधिकारी को सौंपे गए सभी या किसी कार्य को भी कर सकेंगे।

अप्रवास अधिकारियों के सामान्य कर्तव्य

7 ग इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधोधीन प्रत्येक अप्रवास अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे सौंपे गए कर्तव्यों के अतिरिक्त—

(क) भारत में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करने वाले वैध पासपोर्ट और वीजा या वैध यात्रा दस्तावेजों या रहने के परमिट के बिना, यथास्थिति, भारत में विदेशियों के प्रवेश को रोकेंगे;

(ख) खंड (क) के प्रयोजनों से उस सीमा तथा ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, निरीक्षण करेगा—

(एक) किसी विमान, पोत या वाहन या अन्य किसी वाहन का, यदि उसे ऐसा विश्वास करने के कारण उपलब्ध है कि उसमें कोई अवैध यात्री यात्रा कर रहा है;

(दो) किसी थान या प्रांगण का, यदि उसके पास ऐसा विश्वास करने के कारण है कि वहां कोई अवैध प्रवेशकर्ता ठहरा हुआ या छुपा हुआ है।

स्थल या प्रवेश पत्तन

7 घ (एक) केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके भारत में प्रवेश करने के लिए ऐसे अभिहित स्थल या प्रवेश पत्तन, ऐसे स्थानों पर जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, के बारे में अधिसूचना जारी करेगी;

(दो) अभिहित स्थल या प्रवेश पत्तन पर एक अप्रवासी अधिकारी या कोई ऐसा अन्य अधिकारी होगा जो मुख्य अप्रवास अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

अन्य अप्रवास अधिकारी तथा कर्मचारी

7 ङ केन्द्रीय सरकार, मुख्य अप्रवास अधिकारी तथा अप्रवास अधिकारियों के इस अधिनियम के अधीन कार्य निष्पादन में सहायता करने के लिए ऐसे अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी (यहां इसके पश्चात क्रमशः अप्रवास के अधिकारी तथा कर्मचारी के रूप में निर्दिष्ट) नियुक्त कर सकेगी जो वह उचित समझे।

अप्रवास अधिकारी लोकसेवक होंगे

7 च मुख्य अप्रवास अधिकारी तथा अप्रवास अधिकारी, अप्रवास के अधिकारी तथा कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थों में लोक सेवक होंगे।

भारत में उतरने वाले व्यक्तियों की परीक्षा

7 छ (एक) कोई अप्रवास अधिकारी भारत में उतरने वाले या उतरने के इच्छुक या भारत में प्रवेश करने के इच्छुक व्यक्तियों की यह निश्चित करने के लिए परीक्षा कर सकेगा कि क्या वह व्यक्ति विदेशी है और यदि है तो क्या उसके पास यथास्थिति, वैध पासपोर्ट और वीजा या अन्य यात्रा दस्तावेज या निवास परमिट है अथवा नहीं।

(दो) जहां, उपर्युक्त उपधारा (एक) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति की परीक्षा पर अप्रवास अधिकारी का यह मत है कि व्यक्ति विदेशी है और उसके पास वैध पासपोर्ट और वीजा या वैध यात्रा दस्तावेज या निवास परमिट नहीं है तो वह उस व्यक्ति को भारत में प्रवेश करने की अनुमति देने से इंकार कर सकेगा और उसके निर्वासन का आदेश दे सकेगा।

कतिपय वर्गों के व्यक्ति ग्राह्य नहीं होंगे

7 ज किसी भी विदेशी को, यदि उसके पास वैध पासपोर्ट, वीजा या अन्य यात्रा दस्तावेज या परमिट भी है, यदि अप्रवास अधिकारी के मतानुसार वह निम्न वर्गों में से किसी एक वर्ग में आता है, भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी:—

(क) ऐसी बीमारियों या पंगुताओं से ग्रस्त व्यक्ति जो जन स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा है और इसके परिणामस्वरूप देश में और समाज सेवाओं पर अत्यधिक भार पड़ेगा;

(ख) अपनी या अपने आश्रितों की सहायता करने में असमर्थ है या सहायता करने के अनिच्छुक व्यक्ति;

(ग) ऐसे व्यक्ति जो दोषसिद्ध हैं या कट्टर अपराधी हैं और जिन्होंने अपराध किए हैं या उनके अपराध करने की संभावना है;

(घ) मादक तथा मनःप्रभावी पदार्थों की तस्करी में लिप्त व्यक्ति;

(ङ) योजनाबद्ध तथा संगठित पद्धति से आपराधिक क्रियाकलापों में अन्तर्गस्त व्यक्ति;

(च) जासूसी, विध्वंसक या आतंकवादी क्रियाकलापों में अन्तर्गस्त संगठनों के सदस्य;

(छ) ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में यह विश्वास है कि वे ऐसे संगठनों के सदस्य हैं जो युद्ध अपराधों, मानवता विरोधी अपराधों या जनसंहार में अन्तर्गस्त हैं;

(ज) पड़ोसी देशों के कुशल तथा अकुशल श्रमिक जिनके पास कार्य परमिट नहीं है;

(झ) भारत में अवैध रूप से प्रवेश पाने के लिए गलत प्रमाण देने के आरोपों पर भारत से विगत में विवासित किए गए विदेशी;

(ञ) ऐसे अन्य वर्ग जो सरकारी राजपत्र में सामान्य या विशेष आदेश प्रकाशित करके केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जायें।

प्रवेश अस्वीकार किए गए व्यक्तियों का विवासन

7.1 (एक) जहां धारा 7 छ की उपधारा (दो) या धारा 7 ज के अधीन किसी व्यक्ति का भारत में प्रवेश करना अस्वीकार कर दिया जाता है वहां ऐसे व्यक्ति का विवासन उस स्थान के लिए जहां से वह विमान/जहाज पर चढ़ा था या धारा 7 ङ की उपधारा (दो) में विनिर्दिष्ट देश या क्षेत्र को उपधारा (दो) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(दो) जहां भारत में पहुंचने वाले किसी व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया जाता है वहां अप्रवास अधिकारी—

(क) पोत के कैप्टन या विमान या किसी अन्य वाहन के चालक को, जिसमें वह व्यक्ति आया है, ऐसे व्यक्ति को यथास्थिति, उसी पोत, विमान या वाहन से भारत से हटाने के लिए निदेश देगा, या

(ख) उस पोत, विमान या वाहन के स्वामी या एजेंट को, ऐसे व्यक्ति को निदेश में विनिर्दिष्ट किसी पोत या विमान या वाहन से, जिसके वे स्वामी या एजेंट हैं, भारत से हटाने के लिए निदेश देगा परन्तु यह कि जहां अप्रवास अधिकारी का यह मत है कि इस उपधारा में अवधारित स्वरूप के निदेश देना उपयुक्त नहीं होगा वहां वह ऐसे व्यक्ति को उसके पोत/विमान पर चढ़ने वाले स्थान या धारा 7 ङ की उपधारा (दो) में विनिर्दिष्ट देश या क्षेत्र के लिए, उस व्यक्ति के व्यय पर या यदि वह व्यक्ति व्यय करने में असमर्थ है तो केन्द्रीय सरकार के व्यय पर वापस भेजने का प्रबन्ध करेगा।

(तीन) ऐसा व्यक्ति, जिसके बारे में इस धारा के अधीन निदेश दिए गए हैं, अप्रवास अधिकारी के प्राधिकार के अधीन किसी ऐसे पोत या विमान पर चढ़ाया जाए जिस पर कि उक्त निदेशों के अधीन उसे भारत से हटाया जाना है।

भारत में उतरने पर विदेशियों की परीक्षा के विचाराधीन रहते हुए उन्हें निरुद्ध रखना

(एक) भारत में उतरने वाली किसी भी व्यक्ति को, उसकी परीक्षा के विचाराधीन रहते और उसे प्रवेश की अनुमति देने या अनुमति से इंकार करने के निर्णय होने तक अप्रवास अधिकारी के प्राधिकार के अधीन निरुद्ध रखा जाएगा।

(दो) कोई व्यक्ति जिसके बारे में धारा 7 झ की उपधारा (2) के अधीन निदेश दिए जा सकें, उन निदेशों के दिए जाने तक और दिए गए निदेशों के अनुसरण में उसके हटाए जाने तक निरुद्ध रखा जा सकेगा।

(तीन) किसी पोत, विमान या किसी वाहन में सवार व्यक्ति, विधि के अधीन जिसकी आस्थिति भारत में अपेक्षित है, अप्रवास अधिकारी के प्राधिकार के अधीन, पोत, विमान या अन्य किसी वाहन से हटाकर इस धारा के अधीन निरुद्ध रखा जा सकेगा।

(चार) यदि अप्रवास अधिकारी आवश्यक समझता है तो वह किसी जहाज के मास्टर या विमान के चालक या किसी अन्य वाहन के प्रभारी किसी व्यक्ति को जहाज, विमान या किसी वाहन से आने वाले किसी व्यक्ति को भारत में उतारने से रोक सकेगा।

(पांच) जहां धारा (4) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रवेश करने से इंकार कर दिया जाता है वहां जहाज का मास्टर या विमान का कैप्टन या किसी अन्य वाहन का प्रभारी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को यथास्थिति, जहाज, विमान या किसी अन्य वाहन में अभिरक्षा में निरुद्ध रखेगा।

(छः) अप्रवास अधिकारी किसी विदेशी को धारा 7 ङ की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट देश के लिए तुरन्त निर्वासन के लिए आदेश दे सकेगा, यदि ऐसा विदेशी—

(क) अप्राह्य वर्ग का है; या

(ख) यदि प्राधिकारियों द्वारा अवधि नहीं बढ़ाई गई है और वह अपने वीजा या परमिट की अवधि से अधिक भारत में ठहरा है; या

(ग) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी उपबंध, इसके अधीन बनाए गए नियम या आदेशों में से किसी का उल्लंघन किया है; या

(घ) इस अधिनियम के अधीन या विदेशियों के बारे में उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए दिया गया दंड पूरा कर लिया है; या

(ङ) अप्रवास अधिकारी के विचार में वह व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है या उसकी निरन्तर उपस्थिति भारत के लोगों के जीवन और सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है।

सुविधा केन्द्र और विदेशियों का निरुद्ध किया जाना

77 (एक) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों से सुविधा केन्द्र स्थापित करेगी या किसी स्थान या केन्द्र के रूप में अधिसूचित करेगी।

(दो) धारा 73 की उपधारा (एक) से (तीन) के अधीन निरुद्ध करने योग्य व्यक्तियों को निरुद्ध किया जा सकेगा, यदि सुविधा केन्द्रों में या ऐसा अन्य स्थानों पर जो केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, नियुक्त अप्रवास अधिकारी ने इस आशय का आदेश दिया है।

(तीन) जहां कोई व्यक्ति इस धारा की उपधारा (एक) के अधीन निरुद्ध किया जाता है वहां अप्रवास अधिकारी, या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति निरुद्ध किए गए ऐसे व्यक्ति की पहचान के लिए फोटोग्राफ, माप या अन्य कोई कार्रवाई करने के लिए वे सभी उपाय कर सकेगा जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो।

इस प्रश्न का अवधारण कि क्या कोई व्यक्ति अवैध प्रवेशकर्ता है

78 (एक) यदि प्राप्त सूचना के आधार पर या अन्यथा, अप्रवास अधिकारी के पास यह विश्वास करने का न्यायोचित आधार है कि उसके अधिकार क्षेत्र में निवास कर रहा कोई व्यक्ति अवैध प्रवेशकर्ता है तो वह अपने विश्वास के समर्थन में कारण देते हुए उस तथ्य को रिकार्ड करेगा, उस व्यक्ति को इस आशय की कारण बताओं सूचना भेजेगा कि उसे अवैध प्रवेशकर्ता क्यों न घोषित किया जाए।

(दो) उपधारा (एक) के प्रयोजन से अप्रवास अधिकारी ऐसी जांच करेगा जो विहित की जाए और अवधारित करेगा—

(क) क्या वह अवैध प्रवेशकर्ता है;

(ख) उसकी राष्ट्रियता;

(ग) वह देश जहां से वह भारत में आया है;

(घ) भारत में उसके निवास की अवधि; और

(ङ) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किए जाएं।

(तीन) अप्रवास अधिकारी नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों पर तथा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, यदि कोई है, जो नियमों द्वारा विहित की जाए, जांच करेगा।

हटाए जाने का आदेश

79 (एक) जहां अप्रवास अधिकारी यह अवधारित करता है कि कोई व्यक्ति अवैध प्रवेशकर्ता है वहां वह उसे तत्काल हटाए जाने के लिए, धारा (त) के अधीन अप्रवास अधिकरण द्वारा दिए गए आदेश के अधीन, यदि कोई है, आदेश जारी करेगा।

(दो) उपधारा (एक) के अधीन हटाए जाने के आदेश द्वारा, अवैध प्रवेशकर्ता को आदेश में विनिर्दिष्ट देश या क्षेत्र को वापस भेजा जा सकेगा, जो या तो होगा—

(क) वह देश जहां का वह राष्ट्रिक या नागरिक है; या

(ख) वह देश या क्षेत्र जहां उसने पासपोर्ट या अन्य पहचान दस्तावेज प्राप्त किए हैं; या

(ग) वह देश या क्षेत्र जहां से वह भारत के लिए चढ़ा हो; या

(घ) वह देश या क्षेत्र जिसके बारे में यह विश्वास हो कि उसे स्वीकार कर लिया जाएगा।

जांच तथा विवासन के विचाराधीन रहते निरोध

79 (एक) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 78 के अधीन कोई जांच सम्बन्धित है और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 79 के अधीन हटाए जाने का आदेश पारित कर दिया गया है और जिसने धारा 7त के अधीन अपील दायर की है, सुविधा केन्द्रों में या ऐसे स्थानों पर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सामान्य या विशिष्ट आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाए, निरुद्ध किया जाएगा।

परन्तु यह कि 16 वर्ष से कम आयु का कोई भी पुरुष या कोई स्त्री इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध नहीं की जाएगी।

(दो) उपधारा (एक) में निर्दिष्ट व्यक्ति को अप्रवास अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के पालन करने तथा पूरा किया जाने पर, निर्मुक्त किया जा सकेगा यदि अप्रवास अधिकारी इस बात से संतुष्ट होगा कि वह व्यक्ति, बुलाए जाने पर, उसके या अधिनियम के अधीन अन्य किसी अधिकारी के सम्मुख उपस्थिति हो जाएगा।

अप्रवास अधिकरणों की स्थापना

79 (एक) केन्द्रीय सरकार धारा 79 के अधीन अप्रवास अधिकारी द्वारा पारित किए गए हटाए जाने के आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अधिसूचना जारी करके, इतने अप्रवास अधिकरणों की स्थापना कर सकेगी जितने कि वह उचित समझती है और अधिकरणों की बैठक स्थल वहीं स्थान होंगे जो केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा अभिहित किए जाएंगे।

(दो) केन्द्रीय सरकार उपधारा (एक) में निर्दिष्ट अधिसूचना में उन क्षेत्रीय सीमाओं को भी विनिर्दिष्ट करेगी जिनके अन्दर प्रत्येक ऐसा अधिकरण अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगा।

(तीन) ऐसे किसी अधिकरण का सदस्य, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो जिलाधीश या अपर जिलाधीश नहीं है या नहीं रहा है।

(चार) अप्रवास अधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा परन्तु इस अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम के अधीन रहते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों से निर्देशित होगा। प्रत्येक अप्रवास अधिकरण को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने, जांच का स्थान तथा समय निश्चित करने, सार्वजनिक या प्राइवेट स्थानों पर बैठने का निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होगी।

हटाए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील

79 (एक) अप्रवास अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसा आदेश उसे भेजे जाने के पन्द्रह दिन के भीतर, उसके विरुद्ध अप्रवास अधिकरण में अपील दायर कर सकेगा।

(दो) अप्रवास अधिकरण, अपील के पक्षकारों को उनका पक्ष सुने जाने का उपयुक्त अवसर देकर, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझता है। उस आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट, संशोधित या रद्द कर सकेगा या मामले को आदेश पारित करने वाले अप्रवास अधिकारी को, ऐसे निदेश देकर जो अप्रवास अधिकरण उचित समझे, अतिरिक्त साक्ष्य लेकर, यदि आवश्यक हो, नए रूप में अवधारण करने के लिए प्रति प्रेषित कर सकेगा।

(तीन) अप्रवास अधिकरण, अपील दायर किए जाने के दिन से तीस दिन की अवधि के भीतर अपील पर निर्णय देने का पूरा-पूरा प्रयास करेगा।

(चार) सिविल प्रक्रिया संहिता में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, अप्रवास अधिकरण द्वारा पारित किया गया आदेश अन्तिम होगा और वह किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं हो सकेगा।

(पांच) अप्रवास अधिकारी या अप्रवास अधिकरण की अधिकारिता में आने वाले मामले में, किसी भी सिविल न्यायालय को कोई वाद स्वीकार करने या अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही की अधिकारिता नहीं होगी और अप्रवास अधिकारी या अप्रवास अधिकरण द्वारा की गई किसी कार्यवाही या पारित आदेश के विरुद्ध सिविल न्यायालय कोई व्यादेश या अन्य कोई आदेश नहीं दे सकेगा।

अप्रवास न्यायालय

79 (एक) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों के शीघ्र विचारण के उद्देश्य से, प्रत्येक जिले में एक या अधिक सेशन न्यायालय अभिहित करेगा।

(दो) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों का विचारण, अप्रवास न्यायालयों द्वारा दिन प्रतिदिन के आधार पर किया जाएगा।

(तीन) कोई भी अप्रवास न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान, अभियुक्त को विचारण के सुपुर्द किए बिना ही, किसी ऐसे शिकायत के प्राप्त होने पर ही कर सकेगा जिसमें ऐसे तथ्यों का उल्लेख किया गया हो जिनसे वह अपराधी बनता है।

(चार) जहां अप्रवास न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध दंडनीय है, जिसमें दंड की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं है या जुर्माना या दोनों से दंडनीय है, वहां अप्रवास अधिकारी, उपधारा (एक) में या संहिता की धारा 260 या 262 में किसी बात के होते हुए भी, संहिता में विहित प्रक्रिया और संहिता की धारा 263 से 265 तक के उपबंधों के अनुसार जहां तक वे ऐसे विचारण में लागू होते हैं, अपराधों का संक्षिप्त रूप में विचारण करेगा।

परन्तु यह कि जब, इस उपधारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के दौरान अप्रवास न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता हो कि मामला इस प्रकार का है कि उसका संक्षिप्त विचारण वांछनीय नहीं होगा तब अप्रवास न्यायालय किसी भी साक्षी को, जिसका साक्ष्य लिया जा चुका है, फिर से बुला सकेगा और ऐसे अपराधों के विचारण के लिए संहिता के उपबंधों में किए गए प्रावधान के रूप में मामले का पुनर्विचारण आरम्भ करेगा और उक्त उपबंध अप्रवास न्यायालय के लिए भी उसी प्रकार से लागू होंगे जैसेकि किसी मजिस्ट्रेट के लिए लागू होते हैं।

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में सिद्धदोष होने पर, अप्रवास न्यायालय के लिए दंडादेश पारित करना, जिसमें कारावास की अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी, विधि सम्मत होगा।

जमानत के संबंध में विशेष उपबंध

7द (एक) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध करने का दोषी है और पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जमानत पर या स्वयं के बंधपत्र पर मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि—

(क) इस प्रकार मुक्त करने के लिए दिए गए आवेदन का विरोध करने का लोक अभियोजक को अवसर नहीं दिया जाएगा;

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, अप्रवास न्यायालय को इस बात से सन्तुष्ट होने के पर्याप्त आधार नहीं कि जमानत पर मुक्त होने पर उससे फरार होने की संभावना नहीं है।

(दो) उपधारा (एक) के उपबंध ऐसे किसी विदेशी के लिए लागू नहीं होंगे जो बीजा या अन्य यात्रा दस्तावेज या परमिट में जिसके अधीन उसने भारत में प्रवेश किया था, अनुज्ञा प्राप्त अवधि से अधिक भारत में ठहरा हो।

(तीन) इस धारा में विनिर्दिष्ट जमानत स्वीकार करने की निर्बन्धन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या जमानत स्वीकार करने से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में विहित निर्बन्धनों के अतिरिक्त होंगे।

अवैध प्रवेशकर्ताओं का विवासन

7घ जहां किसी अप्रवास अधिकारी द्वारा हटाए जाने का आदेश पारित किया गया है या जहां अप्रवास अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध धारा 7ड में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अप्रवास अधिकरण में अपील दायर नहीं की गई है या अपील दायर की गई है परन्तु निरस्त कर दी गई है, वहां अप्रवास अधिकारी यथास्थिति, हटाए जाने के आदेश या अपीलीय आदेश के अनुसार उस व्यक्ति को विवासित कर सकेगा।

व्यक्तियों, वाहनों आदि की तलाशी लेने, उनका अभिग्रहण करने तथा उन्हें निरुद्ध करने की शक्ति

7न सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 द्वारा अधिनियम के अधीन किसी अपराध को रोकने या उसका पता लगाने या इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करने के प्रयोजन से व्यक्तियों, जहाजों, विमानों या अन्य किसी वाहन की तलाशी लेने और पता लगाने के संबंध में या किसी दस्तावेज या किसी वस्तु का अभिग्रहण करने या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या अन्यथा सीमाशुल्क अधिकारियों को तत्समय प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को रोकने या उसका पता लगाने के लिए या इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए ऐसे अधिकारियों द्वारा भी किया जाएगा।

प्राधिकारियों तथा अधिकारियों को सिविल न्यायालयों की कतिपय शक्तियां प्राप्त होंगी

7प (एक) इस अधिनियम के अपने कर्तव्य पालन के प्रयोजन से अप्रवास अधिकरण, मुख्य अप्रवास अधिकारी और अप्रवास अधिकारियों को, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद का विचारण करते समय न्यायालय को प्राप्त शक्तियों के समान ही निम्नलिखित मामलों के संबंध में शक्तियां प्राप्त होंगी:—

(क) साक्षियों को बुलाना और उन्हें उपस्थित करना;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना आवश्यक होगा;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

(घ) साक्षियों तथा दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

(दो) अप्रवास अधिकरण, मुख्य अप्रवास अधिकारी या अप्रवास अधिकारी के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थों में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और अप्रवास अधिकरण, मुख्य अप्रवास अधिकारी और प्रत्येक अप्रवास अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय छबीस के प्रयोजनों से सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

नई धाराओं 12क तथा 12 ख का अन्तःस्थापन

4. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्—

अवैध प्रवेशकर्ताओं को रोजगार देने का निषेध

'12क कोई भी व्यक्ति किसी अवैध प्रवेशकर्ता को जानबूझकर रोजगार नहीं देगा या रोजगार नहीं दिलवाएगा।'

अवैध प्रवेशकर्ताओं को संश्रय देने का निषेध

'12ख कोई भी व्यक्ति किसी अवैध प्रवेशकर्ता को जानबूझकर संश्रय या शरण नहीं देगा या संश्रय या शरण नहीं दिलाएगा।'

धारा 14 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन

'14 जो कोई—

(क) इस अधिनियम के ऐसे उपबंधों, या तदधीन किए गए किसी आदेश या इस अधिनियम या ऐसे आदेश के अनुसरण में दिए गए किसी निदेश का उल्लंघन करता है जिसके उल्लंघन के लिए इस अधिनियम में किसी विशिष्ट दंड का उपबंध नहीं किया गया है; या

(ख) भारत में या उसके किसी क्षेत्र में विधिमन्य पासपोर्ट के सहित या उसके बिना ऐसी अवधि से अधिक अवधि तक रहता है जिसके लिए उसे विधिमन्य बीजा या अन्य यात्रा दस्तावेज या परमिट दिया गया था; या

(ग) भारत या उसके किसी क्षेत्र में प्रवेश करने तथा रहने के लिए जारी किए गए बीजा, या अन्य यात्रा दस्तावेज या परमिट में निर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त कोई कार्य करता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं

होगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी दायी होगा और यदि धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (च) के अनुसरण में कोई बंधपत्र भी दिया है तो उसका बंधपत्र समपहत कर लिया जाएगा और उससे आबद्ध व्यक्ति उसके लिए शास्ति का संदाय करेगा या अप्रवास न्यायालय के समाधान पर्यन्त हेतुक दर्शित करेगा कि उसके द्वारा किसी शास्ति का संदाय क्यों न किया जाए।

निर्बाधित क्षेत्रों आदि में प्रवेश के लिए शास्ति

14क जो कोई—

- (क) भारत के किसी ऐसे क्षेत्र में, जो इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश या उसके अनुसरण में दिए गए किसी निदेश के अधीन उसके प्रवेश के लिए निर्बाधित है, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचित प्राधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना प्रवेश करता है या ऐसे अनुज्ञापत्र में उसके ठहरने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक ऐसे क्षेत्र में रहता है; या
- (ख) भारत के किसी क्षेत्र में, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश या उसके अनुसरण में दिए गए किसी निदेश के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, ऐसे प्रवेश या ऐसे ठहरने, रुके रहने के लिए अपेक्षित विधिमाम्य दस्तावेजों के बिना प्रवेश करता है या ठहरता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु आठ वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु पचास हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा और यदि ऐसे व्यक्ति ने धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (च) के अनुसरण में बंधपत्र दिया है तो उसका बंधपत्र समपहत कर लिया जाएगा और तद्वारा आबद्ध व्यक्ति उसमें की शास्ति का संदाय करेगा या अप्रवास न्यायालय के समाधान पर्यन्त हेतुक दर्शित करेगा कि उसके द्वारा ऐसी शास्ति का संदाय क्यों न किया जाए।

दुष्प्रेरण के लिए शास्ति

14ख जो कोई धारा 14 या धारा 14क के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है यदि दुष्प्रेरित कार्य, दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है तो वह इस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

- (क) कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया कहा जाएगा यदि वह उकसाने के परिणामस्वरूप या किसी षडयंत्र के अनुसरण में या ऐसी सहायता से किया जाता है, जिससे अपराध गठित होता है;
- (ख) 'दुष्प्रेरण' का वही अर्थ होगा जो इसका भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में है।

नई धारा 15क का अन्तःस्थापन

6. मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विवासन

'15क इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई विवास या हटाए जाने के आदेश का किसी अन्य कार्यवाही पर जो इस प्रकार के उल्लंघन के बारे में की गई है या की जा सकेगी, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा'।

नई धारा 16क का अन्तःस्थापन

7. मूल अधिनियम की धारा 16 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जायेगी—

नियम बनाने की शक्ति

- 16क (एक) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना जारी करके, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(दो) विशेषरूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी मामले के लिए उपबंध होंगे, अर्थात्—

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य तथा उनकी सेवाशर्तें;

(ख) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित की जाने वाली जांच किस प्रकार से की जाएगी;

(ग) कोई अन्य मामला जो अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

आदेशों और नियमों का संसद में रखा जाना

16ख इस अधिनियम के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश और बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए, रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक क्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस आदेश या नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में, यथास्थिति, प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, किन्तु आदेश या नियम के इस प्रकार प्रभावी या निष्प्रभावी होने का उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमाम्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

निरसन तथा कार्यवाहियों का अन्तरण

8. (एक) अप्रवासी (असम से निष्कासित) अधिनियम, 1950 और अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(दो) अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 के निरसित हो जाने पर धारा 4 की उपधारा (एक) के अधीन गठित अधिकरण और धारा 15 की उपधारा (एक) के अधीन गठित अधिकरण विघटित हो जाते हैं और—

(क) अधिकरणों के समक्ष लम्बित सभी निर्देश, उन अप्रवास अधिकारियों को अन्तरित किए गए समझे जाएंगे जिनके अधिकार क्षेत्र में ऐसे अधिकरण स्थित हैं;

(ख) अपील अधिकरणों के समक्ष लम्बित सभी अपील उन अप्रवास अधिकरणों को अन्तरित की गयी समझी जाएंगी जिनके क्षेत्राधिकार में ऐसे अपीलीय अधिकरण स्थित हैं;

(ग) अपीलीय अधिकरण और अधिकरण ऐसे अन्तरण के पश्चात् अपने समक्ष लम्बित कार्यवाहियों या अपीलों का रिकार्ड यथाशीघ्र, यथास्थिति, संबंधित अप्रवास अधिकारी या अप्रवास अधिकरण के लिए अग्रेषित कर देंगे।

(तीन) इस धारा के अधीन अन्तरित कोई निर्देश या अपील पर यथास्थिति, अप्रवास अधिकारी या अप्रवास अधिकरण द्वारा इस अधिनियम संशोधित रूप में मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

अन्य मामलों का अन्तरण

9. (एक) इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से मूल अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों से संबंधित किसी भी न्यायालय के समक्ष लम्बित सभी कार्यवाहियां उन (अप्रवास) न्यायालयों को अन्तरित समझी जाएंगी जिनके अधिकार क्षेत्र में वह न्यायालय स्थित है।

(दो) न्यायालय, अन्तरण के तुरन्त पश्चात् अपने समक्ष लम्बित कार्यवाहियों का समस्त रिकार्ड अप्रवास न्यायालय को अग्रेषित करेगा।

अनुबंध - दो

प्रश्नावली

- गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित प्रश्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को उनके विचार जानने के लिए भेजे थे:—
- (एक) क्या धारा 14 का प्रस्तावित संशोधन, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, गम्भीर अपराधों के लिए अधिक दंड का उपबंध किया गया है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे आपराधिक मामले सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय हो जायेंगे और जमानत स्वीकार करना भी अधिक कठिन हो जाएगा, पर्याप्त है, यदि नहीं, तो उक्त धारा के संशोधन के विषय में सुझाव दिए जाएं?
- (दो) क्या घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए अधिनियम को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी बनाने हेतु इसके अन्य उपबंधों में भी संशोधन करने की आवश्यकता है?
- (तीन) विदेशियों विषयक अधिनियम में कार्यान्वयन के बारे में आपका अनुभव क्या रहा है और इस प्रक्रिया में आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है?
- (चार) क्या प्रस्तावित संशोधन के कारण पासपोर्ट अधिनियम/नागरिकता अधिनियम को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पड़ेगी?
- (पांच) क्या आप कोई और सुझाव देना चाहते हैं?

अनुबंध - तीन

प्रश्नावली के बारे में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की प्रतिक्रियाएं तालिका में दर्शायी गयी हैं:—

क्रम संख्या	प्रतिक्रियाएं	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र
1.	(क) संशोधन विधेयक पर्याप्त (ख) वांछनीय	गोआ, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली	चंडीगढ़ लक्षद्वीप
2.	(क) अधिनियम के अन्य उपबंधों में और संशोधन करने की आवश्यकता है (ख) और संशोधन आवश्यक नहीं	हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली गोआ, पंजाब	चंडीगढ़
3.	(क) विदेशियों विषयक अधिनियम को कार्यान्वित करने में अनुभव की गई कठिनाइयां (ख) कोई कठिनाई नहीं	गोआ, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली पंजाब	चंडीगढ़ लक्षद्वीप
4.	(क) पासपोर्ट अधिनियम को बनाने की आवश्यकता (ख) नागरिकता अधिनियम को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता	गोआ, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, दिल्ली गोआ, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, दिल्ली	चंडीगढ़ लक्षद्वीप चंडीगढ़ लक्षद्वीप
5.	(क) अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का समर्थन किया गया (ख) जमानत उपबंधों का कठोर बनाया जाना	हरियाणा गोआ, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, दिल्ली	

निर्देश

1. वर्ष 1946-47 के दौरान भारत तथा पाकिस्तान के बीच बनाई गई कृत्रिम सीमा पार करके 180 लाख लोगों ने प्रवेश किया।
देखें सविता वरडे-नकवी, अपरुटेड एण्ड अनवैलकम, द हिन्दू (6 जून, 1999)
2. देखें—'बंगलादेश से अवैध प्रवास पर टिप्पण'
गृह मंत्रालय (विदेशियों विषयक प्रभाग)
3. देखें—'इनफ्लक्स एण्ड सियोरिटी' (सम्पादकीय)
दी हिन्दुस्तान टाइम्स (19 दिसम्बर, 1998)
4. 'असम समझौते' के अनुसार वे बंगलादेशी जो 1 जनवरी, 1966 से 25 मार्च, 1971 के बीच भारत में घुस आए थे उनका विवासन नहीं किया जाएगा अपितु 10 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने पर उन्हें भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी।
5. देखें—'स्टेट्स रिपोर्ट' भारत संघ द्वारा ऑल इन्डिया लायर्स फोरम बनाम भारत संघ मामले में भारत संघ द्वारा प्रस्तुत (डब्ल्यू०पी० संख्या 1998 का संख्या 125)
6. देखें उपर्युक्त टिप्पण 5
7. देखें उपर्युक्त टिप्पण 1
8. -वही-
9. देखें उपर्युक्त टिप्पण 2
10. देखें—असम के राज्यपाल की रिपोर्ट 'असम में अवैध प्रवास' (1998) रिपोर्ट के अनुसार अप्रवासी, अब पूर्णतया मुस्लिम हैं।
11. देखें उपर्युक्त टिप्पण 5। प्रवासियों के रिहायशी क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल के निर्वाचन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में वृद्धि की बहुत अधिक प्रतिशतता दर्शायी गई है। देखें बंगाल में मतदाता सूचियों में सम्मिलित किए जाने के लिए अधिकसंख्यक दावेदार: "अवैध अप्रवासी इसका कारण हो सकता है" हिन्दुस्तान टाइम्स (4 जून, 1999); 'पुनरीक्षण सूची से घुसपैठ का मामला सामने आता है', दी इंडियन एक्सप्रेस (3 जून, 1999)
12. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की है कि घुसपैठ से राज्य की अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक भार पड़ा है। असम के मामले में राज्यपाल ने 'राज्य की सांख्यिकीय पद्धति में प्रत्यक्ष परिवर्तन' के गम्भीर आर्थिक परिणामों का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।
13. देखें वी० एन० गाडगिल 'आन्तरिक सुरक्षा खतरे के स्तर पर', दी हिन्दुस्तान टाइम्स (25 अक्टूबर, 1998)
14. ऑल असम स्टूडेंट यूनियन तथा असम गण परिषद् ने वर्ष 1980—85 के दौरान विदेशियों का मामला उठाया और आन्दोलन किया।
15. देखें उपर्युक्त टिप्पण 10 और 12
16. देखें उपर्युक्त टिप्पण 12
17. ऑल इन्डिया लायर्स फोरम बनाम भारत संघ (डब्ल्यू०पी० संख्या 125, 1998)
18. देखें उपर्युक्त टिप्पण 12 31-32 पर
19. छंग्गा खाँ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए०आई०आर० 1956 इलाहाबाद 69, बशीरन बनाम राजस्थान राज्य ए०आई०आर० 1957 राज० 348, मोहम्मद हुसैन बनाम असम राज्य ए०आई०आर० 1960 असम 209
20. ए०आई०आर० 1963 सु०को० 1035
21. ए०आई०आर० 1961 सु०को० 1467
22. ए०आई०आर० 1959 बम्बई 525
23. ए०आई०आर० 1963 आन्ध्र प्रदेश 441
24. ए०आई०आर० 1960 बम्बई 27
25. ए०आई०आर० 1996 मद्रास 322
26. ए०आई०आर० 1960 केरल 177
27. ए०आई०आर० 1962 इलाहाबाद 383
28. ए०आई०आर० 1966 कलकत्ता 552
29. आई०डी० 558 पर
30. उपर्युक्त टिप्पण 25
31. ए०आई०आर० 1996 हिमाचल प्रदेश 27

PLD 92.CLXXV (Hindi)

2000-2001 DSK IV

Price : Rs. 482.00 Foreign £ 7.08 or Cents 10.25